



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

जैदपुरा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार





कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



जैदपुरा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री विशाख जी., आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़
श्री प्रखर कुमार सिंह, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

श्री मोहित जेन, सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ प्रीती सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

जैदपुरा, ग्राम पंचायत

श्री योगेश चौधरी, ग्राम प्रधान

क्षेत्र शोध समर्थन

कोमल फाउंडेशन, अलीगढ़

श्री अश्वनी कुमार राजोरिया, सुश्री रेनू गौतम, श्री भूपेन्द्र यादव, श्री लाखन सिंह

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री रोहिन कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



विशाख जी.
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी,
जनपद अलीगढ़



दिनांक—

—:: संदेश ::—

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत जैदपुरा, विकास खण्ड टप्पल, जनपद अलीगढ़ की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये ज़मीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हैं और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, तथा स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर, उ०प्र० को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी।

धन्यवाद !

(विशाख जी.)

प्रखर कुमार सिंह
आई.ए.एस.
मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद अलीगढ़



दिनांक- 30.10.2024

संदेश


मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली तथा स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर, उ०प्र० के समर्पित प्रयासों के लिये हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

यह कार्ययोजना हमारी ग्राम पंचायत में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप में भी न्यायसंगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करते हैं।

धन्यवाद !


(प्रखर कुमार सिंह)

मा. नरेन्द्र मोदी जिन्दाबाद !

मा. मोक्षी शक्तिरथनाथ जिन्दाबाद !

मा. श्वेतप्रदेव सिंह जिन्दाबाद !

मा. शंतीश चौतम शांसद जिन्दाबाद !

ग्राम पंचायत जैदपुरा

विकास खण्ड : टप्पल, जनपद-अलीगढ़ (उ. प्र.)

प्रधान :

योगेश चौधरी

Mob. 9917283818

e-mail : yojesh991728@gmail.com



आवास :

ग्राम + पोस्ट : जैदपुरा

विकास खण्ड : टप्पल

जनपद-अलीगढ़ (उ. प्र.)

संज्ञा

जी.मि.

दिनांक 24/07/2024

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत जैदपुरा
विकास खण्ड टप्पल जनपद - अलीगढ़


आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत जैदपुरा जनपद अलीगढ़ की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये प्रथम कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए संनाचित हों।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। और हमारे समुदाय और नावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्व सम्मति से हमें अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया सर्वप्रथम आश्यकता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ-साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केंद्रित चर्चा के आयोजनके अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और ऑकड़ों को एकत्रित किया गया ऑकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया क्रियान्वित करने के लिये स्थानीय सहयोगी सरथा गोरखपुर इनवायरमेंट एक्शन ग्रुप(जी०ई०ए०जी) गोरखपुर तथा ऑकड़े एकत्रित करने में हमारे ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी ग्राम पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाएंगे। जो न केवल हमारे प्रकृतिक संसंधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउण्डेशन नई दिल्ली का भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये ऑकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्ग दर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया। मैं सभी ग्राम वासियों से अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद।



विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	1. जैदपुरा ग्राम पंचायत एक नजर में	4
	2. जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	3. प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	4. कार्यरत महिलाएं	7
	5. कृषि	7
	6. प्राकृतिक संसाधन	8
	7. जैदपुरा में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित मुद्दाव	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	17
	3. सतत कृषि	22
	4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	27
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	31
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	41
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	44
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	48
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	54
8	आगे की राह	60
9	अनुलग्नक	61

चित्र

चित्र 1	: जैदपुरा ग्राम पंचायत, अलीगढ़ ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2	: जैदपुरा में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2020	5
चित्र 3	: जैदपुरा में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2020	6
चित्र 4	: जैदपुरा में घरेलू स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत	6
चित्र 5	: जैदपुरा में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान	6
चित्र 6	: जैदपुरा में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7	: जैदपुरा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8	: जैदपुरा में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	7
चित्र 9	: 2022 में जैदपुरा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 10	: 2022 में जैदपुरा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की जैदपुरा ग्राम पंचायत दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। जैदपुरा की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूली क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर कार्य योजना तैयार की गई है। जैदपुरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे जैदपुरा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

कार्ययोजना प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क कृषि-जलवायु क्षेत्र, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्य योजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए जैदपुरा ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है।

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक अंकड़े को एकत्र करना: पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा, गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से अंकड़े एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और कार्ययोजना निर्माण

- ग्राम पंचायत के रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत की रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और जैदपुरा में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- मुख्य मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान: जैदपुरा में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया था
- प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियाँ: पहचाने गए/चिह्नित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर जैदपुरा के लिए सुझाव/संस्तुतियाँ तैयार की गईं। इन संस्तुतियों में दक्षिण-पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त जैदपुरा की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत से उत्सर्जन, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

इससे आधार रेखा बनाने और जैदपुरा के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव और एक मजरा और 550 घर हैं जिनकी कुल आबादी 6,000 है। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन और गैर-कृषि मजदूरी सम्मिलित है। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि जैदपुरा ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट $\sim 3,379 \text{ tCO}_2\text{e}^3$ है।

ग्राम पंचायत जैदपुरा में तत्काल कार्रवाई हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिक क्षेत्र निम्न हैं:

- जल निकायों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के माध्यम से स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करना, साथ ही लगातार सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।
- स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल की उपलब्धता और पशुपालन पर जलजमाव के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए जल निकासी के बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- हरित आवरण और कृषि वानिकी प्रथाओं के विस्तार के साथ चरम मौसमी घटनाओं जैसे कि गर्मी के प्रभावों को कम करना।
- बायोगैस और सौर चूल्हे जैसे स्थायी विकल्पों के साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत और उन्नत गतिशीलता और आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाने के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरणवार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

जैदपुरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा जैदपुरा जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- जलवायु परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को जैदपुरा की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के माध्यम से कम होने वाले कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष 2,859 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO_2e) है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 94,650 tCO_2 तक बढ़ जाती है। तीन चरणों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹29 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग शामिल है। इसमें से, आवश्यक फंडिंग का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹10 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंडों से सुरक्षित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

2 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार : कुल जनसंख्या - 2,445


3 इसमें जीपी के भीतर बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन का दायरा सम्मिलित है (यूपीपीसीएल से प्राप्त डेटा और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक)।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना

















क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



जैदपुरा

जैदपुरा ग्राम पंचायत एक नजर में†

	स्थान	टप्पल ब्लॉक, अलीगढ़ ज़िला
	कुल क्षेत्रफल	346 हेक्टेयर
	संयोजन	1 राजस्व गांव और 1 मजरा
	कुल जनसंख्या⁴	6,000
	पुरुषों की संख्या	3,180
	महिलाओं की संख्या	2,820
	कुल परिवार⁵	550
	पंचायत अवसंरचना	6 - (पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 आंगनवाड़ी केंद्र)
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि, पशुपालन, मजदूरी (गैर-कृषि)
	भूमि उपयोग	300 हेक्टेयर कृषि भूमि 5.6 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि 3 हेक्टेयर कृषि वानिकी वृक्षारोपण 37.4 हेक्टेयर शेष भूमि

	जल संसाधन	2 तालाब 20 कुएं
	कृषि-जलवायु क्षेत्र⁶	दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ: गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियाँ के साथ अर्ध-शुष्क से उप-आर्द्र अधिकतम तापमान: 47 °C न्यूनतम तापमान: 4 °C औसत वार्षिक वर्षा: 662 मिमी मिट्टी: मुख्य रूप से जलोढ़, गेहूँ और दालों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त
	जिले की समग्र भेद्यता⁷	अधिक
	जिले की क्षेत्रीय संवेदनशीलता	जल भेद्यता: बहुत अधिक आपदा भेद्यता : अधिक वन भेद्यता: अधिक ऊर्जा भेद्यता : मध्यम स्वास्थ्य भेद्यता : मध्यम कृषि भेद्यता : कम ग्रामीण विकास भेद्यता: कम


† योजना की तैयारी के लिए किए गए फील्ड सर्वेक्षण से डेटा (मार्च-अप्रैल, 2023)

4 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या 2,445; पुरुष- 1,277; महिला- 1,168

5 520 पक्के घर और 30 कच्चे घर

6 उ०प्र० कृषि विभाग

7 उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0




चित्र 1: जैदपुरा ग्राम पंचायत, अलीगढ़ ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)⁸ से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों (तापमान और वर्षा) से ज्ञात होता है कि 1990 और 2020 के बीच क्षेत्र (जनपद अलीगढ़) में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान⁹ में कोई विशेष/महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है (चित्र- 2 देखें)। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा¹⁰ में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखता है (चित्र- 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ें पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020¹¹ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतः-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)¹² और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹³ के द्वारा भी की गयी है।



चित्र 2: जैदपुरा में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2020

8 अलीगढ़ स्टेशन के लिए लिया गया दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) डेटा और दैनिक वर्षा डेटा

9 1998, 2006, 2007, 2009, 2014 के तापमान के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं

10 1998, 2006, 2009, 2012 के दैनिक वर्षा के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं


11 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

12 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

13 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | स्प्रिंगरलिंग्क

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चाओं से मौसम परिवर्तन के विषय में समुदाय के विचारों के बारे में पता चलता है, कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 60 दिनों की वृद्धि देखी गई है। सर्दी के दिनों की संख्या लगभग 45 दिन कम हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 25 दिनों की कमी आई है।


ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।



चित्र 3: जैदपुरा में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2020


प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है, जिसमें लगभग 35% परिवार जुड़े हुए हैं (चित्र 4 देखें)। इसके बाद पशुपालन और गैर-कृषि संबंधी मजदूरी (लगभग 28% प्रत्येक) में समान भागीदारी है। कुछ अन्य परिवार सेवा क्षेत्र, स्थानीय व्यवसाय, कला/हस्तशिल्प आदि में संलग्न हैं।




चित्र 4: जैदपुरा में घरेलू स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक सर्वेक्षण की सहायता से परिवारों की वार्षिक आय की जानकारी ली गयी जिसमें बड़ी संख्या में परिवारों (46 प्रतिशत) की आय प्रति वर्ष ₹1,00,000- ₹2,00,000 के मध्य है, इसके सापेक्ष बहुत छोटी संख्या में परिवार (9 प्रतिशत) ₹5,00,000 से अधिक कमाते हैं। सर्वेक्षण के समय, ग्राम पंचायत में 6 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) थे। राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 81 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। इनमें से केवल 35 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड¹⁴ हैं (चित्र 6)।



चित्र 5: जैदपुरा में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान


14 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल <https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/ReportNikayWise.aspx?val=NCMxNDkjUiMwMDE5OTIjMDU5NTYx>



चित्र 6: जैदपुरा में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं


क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चलता है कि जैदपुरा ग्राम पंचायत में 488 कामकाजी¹⁵ महिलाएं हैं। वे ज़्यादातर पशुपालन से जुड़ी हुई हैं। रोज़गार के अन्य स्रोतों में कृषि और गैर-कृषि मज़दूरी शामिल हैं। कुछ महिलाएँ शिक्षण, बैंकिंग और सरकारी नौकरियों जैसे सेवा क्षेत्रों में शामिल हैं (चित्र 7 देखें)। ग्राम पंचायत में 30 परिवारों (कुल परिवारों का लगभग 5.5 प्रतिशत) की मुखिया महिला¹⁶ हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि 9 स्वयं सहायता समूह हैं जो ज़्यादातर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं।



चित्र 7: जैदपुरा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित महिलाओं की संख्या

कृषि

जैदपुरा में लगभग 35 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं (चित्र 4 देखें)। जैदपुरा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 300 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र 477 हेक्टेयर है (चित्र 8 देखें)। क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें धान और बाजरा हैं। क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूँ, सरसों, आलू और टमाटर हैं। जबकि सिंचाई का मुख्य स्रोत नहरें हैं, सिंचाई के अन्य स्रोतों में वर्षा जल, ट्यूबवेल और व्यक्तिगत बोरिंग और पंप शामिल हैं। ग्राम पंचायत में 38 ग्रिड से जुड़े इलेक्ट्रिक पंप उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायत की लगभग 54 प्रतिशत आबादी पशुपालन में संलग्न है। जैदपुरा में कुल पशुधन संख्या 1,060 (360 गाय, 650 भैंस और 50 बकरियाँ) है।



चित्र 8: जैदपुरा में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

15 सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ महिलाएं एक से अधिक गतिविधि में संलग्न हैं

16 महिला-प्रधान परिवार वे परिवार हैं जहां महिलाएं एकमात्र/प्राथमिक कमाने वाली होती हैं।

प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, जैदपुरा में 2 तालाबों और 20 कुओं के साथ कुल 22 जल निकाय हैं। ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण में स्कूलों के पास और आंतरिक सड़कों के किनारे 3 हेक्टेयर सामुदायिक वृक्षारोपण शामिल हैं। जैदपुरा में आमतौर पर जुलाई के महीने में वृक्षारोपण गतिविधियाँ की जाती हैं। वृक्षारोपण को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

17 क्षेत्रीय सर्वेक्षण/समुदाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार



जैदपुरा में सुविधाएं

बिजली और रसोई गैस

- बिजली कनेक्शन¹⁸ : 100% परिवार
- रसोई गैस कनेक्शन : ~91% परिवार



जल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत: भूजल
- घरेलू स्तर पर पाइप से जलापूर्ति¹⁹: ~72%

अपशिष्ट पदार्थ

- खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति: प्राप्त
- घरेलू शौचालय कवरेज: ~73%

आवागमन एवं बाज़ार तक पहुँच²⁰

- नोएडा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी: 1.5 किमी
- ग्राम पंचायत के भीतर राशन की दुकान



शैक्षणिक संस्थान

- सरकारी प्राथमिक विद्यालय
- सरकारी हाई स्कूल

स्वास्थ्य

- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)
- 2 आंगनवाड़ी केंद्र

18 सौभाग्य डैशबोर्ड <https://saubhagya.gov.in/>

19 जल जीवन डैशबोर्ड https://ejalshakti.gov.in/jjm/citizen_corner/villageinformation.aspx


20 जैसा कि फील्ड सर्वे में बताया गया है



ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधारभूत रूपरेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) प्रक्षेपण सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, जैदपुरा ग्राम पंचायत विभिन्न गतिविधियों से ~ 3,379 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया है (चित्र 9 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों में घटित गतिविधियों ने जैदपुरा के कार्बन फुटप्रिंट में मुख्य योगदान दिया है। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत²¹, खाना पकाने के लिए लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के दहन, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन और फसल अवशेष जलाना शामिल है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 9: 2022 में जैदपुरा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

ऊर्जा क्षेत्र का योगदान कुल उत्सर्जन में 48 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में बिजली की खपत श्रेणी मुख्य उत्सर्जक (~765 tCO₂e) है, इसके बाद आवासीय खाना पकाने (~419 tCO₂e), परिवहन (~398 tCO₂e) और आवासीय जनरेटर (41 tCO₂e) का स्थान है। जैदपुरा ग्राम पंचायत के कुल उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन का योगदान 45 प्रतिशत रहा, जबकि पशुधन (~716 tCO₂e) और धान की खेती (~592 tCO₂e) से होने वाले उत्सर्जन जीएचजी उत्सर्जन के प्रमुख कारण रहे हैं। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र का योगदान 7 प्रतिशत है।



चित्र 10: 2022 में जैदपुरा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

21 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत सीमा के बाहर होता है।

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चाओं के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

व्यापक मुद्दे :

- मौसमी अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा होने के कारण अन्य प्रभावों के साथ-साथ बुवाई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की जरूरतें प्रभावित होती हैं
- जुलाई/अगस्त में बार-बार सूखा पड़ना और अगस्त से अक्टूबर में जलजमाव की समस्या होती है
- अस्थायी कृषि और पशुपालन प्रथाएँ
- सीमित स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएँ
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में कमी
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझावों/संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। सुझावों/संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों²² (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण-I (2024-25 से 2026-27); चरण-II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना' के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत सुझाव/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

कार्ययोजना में प्रस्तावित सुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
3. सतत कृषि
4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझावों/संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हे, मुख्य सुझावों/संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

²² लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत अनुमान, या आवश्यक इनपुट की प्रति इकाई अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।

1

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



संदर्भ एवं मुद्दे²³

- जैदपुरा ग्राम पंचायत कृषि और घरेलू दोनों जरूरतों के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर करती है। वर्ष 2018 से 2022 के बीच जुलाई और अगस्त के महीनों में सूखे की लगातार घटनाएँ हुई हैं। इसलिए, जैदपुरा में वाटरशेड प्रबंधन को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- जैदपुरा में 2 तालाब हैं, जिनमें से दोनों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है और वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं और इसलिए उन्हें साफ करने और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।
- जैदपुरा में जलजमाव एक प्रमुख चिंता का विषय है। यह अकुशल और खराब रखरखाव वाले जल निकासी बुनियादी ढांचे से और बढ़ जाता है।

भूजल पर निर्भरता और पिछले पांच वर्षों में सूखे की लगातार घटनाएँ जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं। जैदपुरा में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तावित हैं।

23 जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक संसाधनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई



जल निकायों का पुनरोद्धार एवं संरक्षण

चरण

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों की सफाई करना, गाद निकालना और चारों ओर बाड़ लगाना। जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और निर्माण कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी)²⁴ की क्षमता निर्माण <ul style="list-style-type: none"> जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाना विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पानी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना/अपडेट करना 	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों का नियमित रखरखाव किया जाना जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतन करना समुदाय और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों का नियमित रखरखाव किया जाना जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतन करना
	<ol style="list-style-type: none"> 2 तालाबों की सफाई और गाद निकालने का काम 20 कुओं का जीर्णोद्धार किया गया जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ लगाए जाने 	<ol style="list-style-type: none"> 2 तालाबों का रखरखाव 20 कुओं का रखरखाव जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,500 अतिरिक्त पेड़ लगाए जाने 	<ol style="list-style-type: none"> 2 तालाबों का रखरखाव 20 कुओं का रखरखाव जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,500-2,000 अतिरिक्त पेड़ लगाए जाने

लक्ष्य

24 <https://phed.cg.gov.in/sites/default/files/gphandbook-0.pdf>

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
अनुमानित लागत	1. तालाबों की सफाई: ₹14,00,000 2. कुओं का जीर्णोद्धार: ₹62,50,000 3. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना" अनुभाग में शामिल ₹12,70,000 कुल लागत: ₹76.5 लाख	1. तालाबों का रखरखाव: ₹7,00,000 2. कुओं का रखरखाव: ₹12,00,000 3. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना" अनुभाग में शामिल ₹19,05,000 कुल लागत: ₹19 लाख	1. तालाबों का रखरखाव: ₹7,00,000 2. कुओं का रखरखाव: ₹12,00,000 3. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना" अनुभाग में शामिल ₹19,05,000- ₹25,40,000 कुल लागत: ₹19 लाख



जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर करना

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	1. नई नालियों का निर्माण 2. जलजमाव को रोकने के लिए मौजूदा नालियों की सफाई, गाद निकालना और मरम्मत करना।	चरण I की गतिविधियाँ जारी	चरण I की गतिविधियाँ जारी
लक्ष्य	10 स्थानों ²⁵ पर लगभग 3 किलोमीटर लंबाई की नालियों का निर्माण	ग्राम पंचायत में नालियों का नियमित रखरखाव	ग्राम पंचायत में नालियों का नियमित रखरखाव
अनुमानित लागत	लगभग 3 किलोमीटर लंबी नालियों का निर्माण: ₹1,33,00,000 कुल लागत: ₹1,33,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

25 स्थान विवरण के लिए एचआरवीसीए का संदर्भ लें



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत में स्थित सरकारी भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना भूजल पुनर्भरण के लिए रिचार्ज पिट सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना 	<ol style="list-style-type: none"> प्रति वर्ष ₹2,00,000 से अधिक आय वाले परिवारों के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना पहचाने गए जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक रिचार्ज गड्डे खोदना सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना 	<ol style="list-style-type: none"> प्रति वर्ष ₹1,00,000 से ₹2,00,000 तक आय वाले परिवारों के लिए आरडब्ल्यूएच आवासीय भवनों की स्थापना सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> पीआरआई भवनों में 6 आरडब्ल्यूएच- 10 m³ भंडारण क्षमता के पुनर्भरण गड्डों (रिचार्ज पिट) की स्थापना। 6 पुनर्भरण गड्डे (रिचार्ज पिट)²⁶ खोदना 	<ol style="list-style-type: none"> 94 पक्के घरों में 10 m³ औसत भंडारण क्षमता वाली आरडब्ल्यूएच संरचनाएँ स्थापित किया जाना आवश्यकतानुसार अधिक पुनर्भरण गड्डे (रिचार्ज पिट खो) जाएँगे 	239 पक्के घरों में 10 m ³ की औसत भंडारण क्षमता वाली आरडब्ल्यूएच संरचनाएँ स्थापित किया जाना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> आरडब्ल्यूएच: ₹2,10,000 पुनर्भरण गड्डे (रिचार्ज पिट): ₹2,10,000 कुल लागत: ₹4.2 लाख	<ol style="list-style-type: none"> आरडब्ल्यूएच: ₹32,90,000 पुनर्भरण गड्डे (रिचार्ज पिट): आवश्यकता के अनुसार लागत कुल लागत: ₹32.9 लाख	आरडब्ल्यूएच: ₹83,65,000 कुल लागत: ₹83.65 लाख

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के तहत उत्तर प्रदेश राज्य वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय के लिए उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट/सीएसआर को जल निकायों और कुओं के रखरखाव और देखभाल में योगदान देने के लिए 'एक जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

²⁶ पीआरआई भवनों में स्थापना

2

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा व्यावसायिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट²⁷ लगभग 480 किलोग्राम प्रतिदिन है। इसमें से 278 किलोग्राम प्रतिदिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा तथा 202 किलोग्राम प्रतिदिन अजैविक कचरा होता है।
- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैदपुरा में अपशिष्ट पृथक्करण तथा प्रभावी अपशिष्ट उपचार प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण ग्राम पंचायत के भीतर तथा बाहर²⁸ खाली भूखंडों में कचरा फेंका जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जल निकाय प्रदूषित होते हैं, मानसून के दौरान नालियों के जाम होने के कारण जलभराव होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं।
- कृषि और पशु अपशिष्ट की बढ़ी मात्रा भी कचरा प्रबंधन के मुद्दों में वृद्धि करती है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 1,060 (गाय, भैंस और बकरी सहित) है और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 21 टन प्रतिदिन²⁹ है जिसे जैदपुरा में खाद, वर्मिकंपोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है।
- घरेलू शौचालय कवरेज ~73% है। क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चाओं ने ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

27 अनुमान पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

28 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताया गया

29 अनुमानित है कि गायें प्रति दिन 10 किलोग्राम गोबर पैदा करती हैं, भैंसें प्रति दिन 15 किलोग्राम गोबर पैदा करती हैं, और बकरियां प्रति दिन 150 ग्राम गोबर पैदा करती हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा की स्थापना कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन: <ul style="list-style-type: none"> घरों से ग्राम पंचायत-स्तरीय भंडारण सुविधा तक चयनित स्थानों (पंचायत भवन, स्कूल, बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कचरा संग्रहण हेतु कूड़ेदान की स्थापना पंचायत, एसएचजी, अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों, स्थानीय कबाड़ विक्रेताओं, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकतानुसार नए चयनित स्थानों पर अतिरिक्त कूड़ेदान स्थापित करना ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत -स्तर का रखरखाव: पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव किया जाना ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन 550 घर (100%) ग्राम पंचायत के अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए 14 कूड़ेदानों की स्थापना³⁰ 	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन : ₹1,05,000 14 कूड़ेदान: ₹2,10,000 कुल लागत: ₹3.15 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

30 अनुमानित संख्या जैदपुरा ग्राम पंचायत एचआरवीसीए रिपोर्ट से ली गई है



जैविक कचरे का प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> वर्मीकंपोस्टिंग गड्ढे स्थापित करना ग्राम पंचायत में खाद मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के उपचार के लिए अतिरिक्त वर्मीकंपोस्टिंग गड्ढे स्थापित करना वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के उपचार के लिए अतिरिक्त खाद गड्ढे स्थापित करना वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार वर्मीकंपोस्टिंग गड्ढे की स्थापना पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल (जिसका विस्तृत विवरण "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में दिया गया है): <ul style="list-style-type: none"> खाद का उत्पादन और बिक्री कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले समस्त (100%) जैवनिम्नीकरणीय/जैविक अपशिष्ट के उपचार के लिए अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना। वर्मीकंपोस्टिंग गड्ढों का रखरखाव साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले समस्त (100%) जैवनिम्नीकरणीय/जैविक अपशिष्ट के उपचार के लिए अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना वर्मीकंपोस्टिंग गड्ढों का रखरखाव साझेदारी को बढ़ाना
अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास गतिविधियां का आयोजन: <ul style="list-style-type: none"> ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पाद बनाने के लिए पंचायत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच साझेदारी मॉडल बनाना ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है) 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक भागीदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक भागीदारी को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद बनाने में 100-120 महिलाओं को जोड़ा जाना (वर्तमान में एसएचजी से जुड़ी 100 महिलाओं) 	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध बनाए रखना निम्न को जोड़ते हुए ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में भागीदारी को बढ़ाना: <ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 200 महिलाएं अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी 	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध बनाए रखना विकल्प आसानी से उपलब्ध होने से उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाता है



स्वच्छता संबंधी संरचनाओं को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियां	सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	सार्वजनिक शौचालयों का नियमित रखरखाव किया जाना	सार्वजनिक शौचालयों का नियमित रखरखाव किया जाना
लक्ष्य	1 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण ³¹	सार्वजनिक शौचालयों का नियमित रखरखाव किया जाना	सार्वजनिक शौचालयों का नियमित रखरखाव किया जाना
अनुमानित लागत	1 सार्वजनिक शौचालय: ₹16,00,000 कुल लागत: ₹16 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड और पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल प्लांट, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

31 विवरण के लिए एचआरवीसीए का संदर्भ लें

3

सतत कृषि



संदर्भ एवं मुद्दे

- जैदपुरा ग्राम पंचायत में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल ~300 हेक्टेयर है और सकल फसली क्षेत्र लगभग 477 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 35% परिवार कृषि पद्धतियों पर निर्भर हैं और 28% परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पद्धतियों पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं (~174 हेक्टेयर), धान (~174 हेक्टेयर), बाजरा (~101 हेक्टेयर), सरसों (~11 हेक्टेयर) और सब्जियां (~18 हेक्टेयर) हैं।
- ग्राम पंचायत ने वर्ष 2018 से 2022 के बीच सालाना 5 सूखे की घटनाओं का अनुभव किया है, आमतौर पर जुलाई-अगस्त के दौरान, जिससे फसल खराब हो जाती है और चारे की कमी³² हो जाती है और ग्राम पंचायत में इन चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है।
- सूखे और मानसून में देरी के कारण धान और बाजरा की बुवाई का समय जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह में बदल गया है³³।
- क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि कृषि जल उपयोग में वृद्धि हुई है, जिससे जल संरक्षण और उन्नत सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

32 क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

33 जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा रिपोर्ट किया गया



कृषि के लिए सूखा प्रबंधन

चरण

सूझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना खेतों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण फसल में पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए चावल की सूखा प्रतिरोधी किस्म को अपनाना और ड्राइ ड्राईरैक्ट सीडेड राइस को अपनाना गेहूँ की सूखा सहन करने वाली किस्म को अपनाना जहाँ संभव हो कृषि तालाब बनाकर कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देना किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना मेड़बंधी का विस्तार और अधिक कृषि तालाबों का निर्माण सूखा सहन करने वाली फसलों की किस्मों को अपनाने के लिए चरण। गतिविधियों का विस्तार बाजरा और दलहन जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलों के साथ फसल चक्र और मिश्रित फसल का कार्य जागरूकता बढ़ाने वाले प्रयासों को जारी रखना और किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार सूखा सहिष्णु किस्म अपनाने के लिए चरण II गतिविधियों का विस्तार
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 8.37 हेक्टेयर (उपयुक्त कृषि भूमि का 30%) में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ शुरू की गईं 150 हेक्टेयर में पेड़ों के साथ मेड़बंधी बनाए जाएंगे (कुल कृषि क्षेत्र का 50%) जहाँ तक संभव हो 300 m³ क्षमता वाले 5-10 कृषि तालाबों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 11.16 हेक्टेयर (उपयुक्त कृषि भूमि का कुल 70%) में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ शुरू की गईं सभी कृषि भूमि 300 हेक्टेयर (कृषि भूमि का 100%) पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी बनाए जाएंगे यथासंभव 15-20 कृषि तालाबों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 8.39 हेक्टेयर (100%) उपयुक्त कृषि भूमि में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ शुरू की गईं मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. सूक्ष्म सिंचाई पर लागत: ₹8,37,000 2. मेड़बंधी: लगभग ₹1,83,750 3. कृषि तालाब: ₹4,50,000 से ₹9,00,000 <p>कुल लागत: ₹14.70 लाख से ~₹19.20 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. सूक्ष्म सिंचाई पर लागत: ₹11,16,000 2. मेड़बंधी : लगभग ₹1,83,750 3. कृषि तालाब: ₹13,50,000 से ₹18,00,000 <p>कुल लागत: ₹26.49 लाख से ₹30.99 लाख</p>	<p>सूक्ष्म सिंचाई: ₹8,39,000</p> <p>कुल लागत: ₹8.39 लाख</p>
---	--	---



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। <ul style="list-style-type: none"> ▪ प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन ▪ नर्सरी एवं स्थानीय बीज बैंक का विकास ▪ जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया प्रारम्भ करना ▪ बाजार संपर्कों का पता लगाया जाना 2. मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिंग, जीरो टिलेज जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणीकरण तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना) 2. चरण I में क्रियान्वित प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना 	<p>कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने का 100% विस्तार</p>
लक्ष्य	<p>45 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तित करना</p>	<p>120 हेक्टेयर (कुल 40%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए परिवर्तित करना</p>	<p>शेष 135 हेक्टेयर (100% आच्छादित) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना</p>

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ~ ₹1,11,19,500 <p>कुल लागत: ₹1,11,79,500</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ~ ₹2,96,52,000 <p>कुल लागत: ₹2,97,12,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ~ ₹3,33,58,500 <p>कुल लागत: ₹3,34,18,500</p>
---	---	---



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण

2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
--------------------	--------------------	--------------------

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

<ol style="list-style-type: none"> 1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना 2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना 3. पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची" देखें। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार करना 2. आवश्यकतानुसार पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण का विस्तार करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार करना 2. आवश्यकतानुसार पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण का विस्तार करना
--	---	---

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 1. पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत पशुपालन क्रियाएँ/प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना 2. 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण³⁴ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना 2. पशुधन प्रबंधन के लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना 2. पशुधन प्रबंधन के लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
---	--	--

अनुमानित लागत

कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सिक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------

34 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ०प्र० बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और पूर्ण प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।
- गौशाला निर्माण को उत्तर प्रदेश सरकार की निराश्रित/बेसहारा गोवंश संरक्षण योजना के तहत सहायता दी जा सकती है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की स्थापना और संचालन ("स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) करना।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, जैदपुरा में सतत कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, अलीगढ़

4

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में स्कूलों के पास और आंतरिक सड़कों के किनारे 3 हेक्टेयर सामुदायिक वृक्षारोपण शामिल है³⁵।
- इसके अतिरिक्त, जुलाई के महीने में मनरेगा और वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण गतिविधियाँ की जाती हैं, जिसमें औसतन 50% जीवित रहने की दर बताई गयी ³⁶।

जैदपुरा ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



हरित आवरण में सुधार

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> विभिन्न प्रयासों/पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ:³⁷ <ul style="list-style-type: none"> छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम³⁸ (5 छात्र चयनित) देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण आरोग्य वन तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों³⁹, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा वृक्षारोपण को संरक्षित रखना बाल वन⁴⁰ के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और उनमें वृद्धि करना किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना आरोग्य वन की स्थापना करना 	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और उनका रखरखाव करना- बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण 76.4 हेक्टेयर (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त 100% भूमि) कृषि वानिकी पहल के अंतर्गत कवर करना आरोग्य वन का रखरखाव किया गया और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयाँ स्थापित करना

35 जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया

36 जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है

37 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध पेड़ों की प्रजातियाँ

38 स्कूली छात्रों को पेड़ लगाने में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेताओं को चुना जाएगा जो अपने साथियों के साथ-साथ जीपी समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

39 उपयुक्त प्रजातियाँ अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध हैं

40 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उत्सव के रूप में स्वदेशी सदाबहार पेड़ों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चों के जीवन के दौरान पौधों का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

लक्ष्य

1. लुप्त हो रहे पेड़ों के 1,000 पौधों का रोपण और कम से कम 65% पौधों को ट्री गार्ड के उपयोग से जीवित रखना सुनिश्चित करना। रोपित पौधों द्वारा 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 5,600 टन CO₂ से 10,000 टन CO₂ होना अनुमानित
2. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/सीमांकन

1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास 1,500 से 2,000 पौधे लगाया जाना। 15-20 वर्षों में 9,800 टन CO₂ से 17,500 टन CO₂ तक की संचयन क्षमता
2. 30 हेक्टेयर भूमि (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त भूमि का 40%⁴¹) में कृषि वानिकी को अपनाना, 3,000 पेड़ लगाना। 20 वर्षों में सागौन के बागानों की संचयन क्षमता = 16,800 टन CO₂ से 30,000 टन CO₂ तक।
3. आरोग्य वन की स्थापना और रखरखाव
4. प्राकृतिक दवाओं और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों का क्षमता निर्माण

1. 1,500 से 2,000 पौधे और लगाना 15-20 वर्षों में 9,800 टन CO₂ से 17,500 टन CO₂ तक की संचयन क्षमता।
2. कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त शेष भूमि यानी 46.4 हेक्टेयर में कृषि वानिकी को अपनाना और 4,640 पेड़ लगाना 20 वर्षों में सागौन के बागानों के लिए संचयन क्षमता = 25,900 टन CO₂ से 46,400 टन CO₂ तक।
3. आरोग्य वन का रखरखाव किया गया और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी रखना

अनुमानित लागत

वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000
कुल लागत: ₹12.7 लाख

1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000
 2. कृषि वानिकी गतिविधियाँ: ₹12,00,000
 3. वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1,80,000
- कुल लागत: ₹32.85 लाख से ₹39.2 लाख

1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000
 2. कृषि वानिकी गतिविधियाँ: ₹18,56,000
 3. वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1,80,000
- कुल लागत: ₹39.41 लाख से ₹45.76 लाख

41 उपयुक्त भूमि में कृषि वानिकी अपनाना। कुल 76.4 हेक्टेयर (गेहूं और सब्जियां) कृषि वानिकी के अंतर्गत लिया गया



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधि	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना लोगों में जन जैवविविधता रजिस्टर के प्रति जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और क्षमता विकास जनजैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन 	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना
अनुमानित लागत	बीएमसी का गठन और प्रशिक्षण लागत ⁴² : ₹25,000		

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
 - ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
 - वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।

42 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण।

- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण गतिविधियां ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैव विविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

5

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



संदर्भ और मुद्दे

- ग्राम पंचायत जैदपुरा ने वर्ष 2022-23 में लगभग 9,00,000 यूनिट बिजली की खपत की। ग्राम पंचायत के 100% घरों में बिजली कनेक्शन है, लेकिन समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। औसतन ग्राम पंचायत में हर दिन लगभग 6 घंटे बिजली कटौती होती है⁴³।
- बिजली कटौती के कारण, ग्राम पंचायत⁴⁴ में बिजली बैक-अप के लिए 10 डीजल जनरेटर चल रहे हैं और वे सालाना लगभग ~16 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- इंकंडेस्केंट लैंप, सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट और कम दक्षता वाले अन्य विद्युत फिक्सचर और उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने 63 सौर स्ट्रीट लाइट (3 हाई मास्ट लाइट और 60 एलईडी स्ट्रीट लाइट) की आवश्यकता व्यक्त की है⁴⁵।
- 400 घरों⁴⁶ में खाना पकाने के लिए गोबर और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है जो न केवल उत्सर्जन में कमी लाएगा बल्कि बेहतर इनडोर वायु गुणवत्ता जैसे सह-लाभ भी देगा।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों में भी तापमान बढ़ रहा है और सतत स्थान शीतलन समाधानों की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, उत्तर प्रदेश राज्य सौर नीति 2022, अन्य, को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां जैदपुरा में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

43 क्षेत्र सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा साझा की गई जानकारी

44 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताई गई जानकारी

45 ग्राम प्रधान से प्राप्त इनपुट के आधार पर

46 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताई गई जानकारी



सोलर रूफटॉप स्थापना

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	(2030-31 to 2034-35)
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाना ⁴⁷	1. सभी नए निर्माणों में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना 2. (40%) पक्के घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित करना	1. सभी नए निर्माणों में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना 2. शेष बचे 280 घरों (मौजूदा पक्के घरों का 100%) के लिए सोलर रूफटॉप सेट-अप
लक्ष्य	निम्न सरकारी भवनों में सोलर रूफ टॉप स्थापित किया जाना: <ul style="list-style-type: none"> पंचायत भवन (1,018 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp प्राथमिक विद्यालय (110 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 7.7 kWp हाई स्कूल (105 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 7.3 kWp सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (100 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 7 kWp आंगनवाड़ी केंद्र 1 (70 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 4.9 kWp आंगनवाड़ी केंद्र 2 (70 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 4.9 kWp कुल सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की गई: 41.8 kWp कुल औसत बिजली उत्पादन: 55,978 kWh प्रति वर्ष (~ 153 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन में कमी: लगभग 46 tCO ₂ e प्रति वर्ष हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के बहुत आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक स्थापना के इस चरण में परिवार भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।	208 (~40%) पक्के मकानों पर सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित किया जाना ⁴⁸ स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता: 624 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पन्न: 8,35,660 kWh प्रति वर्ष (2,289 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 685 tCO ₂ e	310 (~100%) पक्के मकानों पर सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित किया जाना सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित: 930 kWp कुल वार्षिक बिजली उत्पन्न: ~12,45,456 kWh प्रति वर्ष (3,412 यूनिट प्रति दिन) ⁴⁹ जीएचजी उत्सर्जन में कमी ⁵⁰ : प्रति वर्ष लगभग 1,021 tCO ₂ e

47 पीआरआई भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना की अधिकतम सीमा 10 kWh है

48 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 sq.m. माना गया है; प्रति घर 3 kWp छत स्थापना का अनुमान

49 यह उत्पादन जीपी में वर्तमान बिजली खपत से अधिक है।

50 बचाए गए उत्सर्जन से जीपी को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹20.9 लाख (₹50,000/kWp)	कुल लागत: ₹3,12,00,000 सांकेतिक सब्सिडी ⁵¹ : ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹1.87 करोड़	कुल लागत: ₹4,65,00,000 संकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹2.79 करोड़
-----------------------------------	--	--



एग्रो-फोटोवोल्टिक

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III (2030-31 to 2034-35)
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी	किसान समूहों आदि के मध्य एग्रो-फोटोवोल्टिक्स जागरूकता बढ़ाने का कार्य।	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और फलियां वाली फसलों के अंतर्गत) के भाग पर एग्रो-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और फलियां फसलों के तहत) के भाग पर एग्रो-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना
लक्ष्य	किसानों के मध्य एग्रो-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना	2 हेक्टेयर पर एग्रो-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित एग्रो-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp बिजली उत्पादन: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO ₂ e	2 हेक्टेयर पर एग्रो-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित एग्रो-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp बिजली उत्पादन: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO ₂ e
अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	कुल लागत: ₹5 करोड़ ⁵²	कुल लागत: ₹5 करोड़

51 सब्सिडी परिवर्तनशील हैं और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। इसलिए, ग्रहण की गई सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।

52 प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, एग्रो-फोटोवोल्टिक की लागत कम हो रही है। हालांकि, उच्च पक्ष पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लिया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र का अभ्यास करते हैं। इसलिए, बागवानी के तहत उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



सौर पंप

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी	ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सौर्यीकरण। *यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा डाक पंप) पर विचार किया जा सकता है।	सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना	सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना
लक्ष्य	38 ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सौर्यीकरण	आवश्यकतानुसार क्षमता	आवश्यकतानुसार क्षमता
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹1,14,00,000 से ₹1,90,00,000 (₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 एचपी सोलर पंप) सांकेतिक सब्सिडी: 60% (राज्य+सीएफए) प्रभावी लागत: ₹45,60,000 से ₹76,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी) सभी नए निर्मित घरों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र को सम्मिलित किया जाना	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी) सभी नए निर्मित घरों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र को सम्मिलित किया जाना

लक्ष्य

परिदृश्य 1: 75 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (~ 25% घर जिनके पास पशुधन है) + 475 घर एलपीजी का उपयोग
परिदृश्य 2: 87 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 463 घर एलपीजी का उपयोग
परिदृश्य 3: 87 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 100 घर उन्नत चूल्हे का उपयोग (25% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 363 घर एलपीजी का उपयोग
इसमें ग्राम पंचायत में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी शामिल है।

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 75 घर बायोगैस संयंत्र का उपयोग (कुल 50% घर) + 400 घर एलपीजी का उपयोग
परिदृश्य 2: 87 और परिवार सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में अतिरिक्त 25% घर)।
परिदृश्य 3: 87 और घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में अतिरिक्त 25% घर) + 100 और घर उन्नत चूल्हे का उपयोग (अतिरिक्त 25% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 176 घर एलपीजी का उपयोग
इसमें ग्राम पंचायत में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी शामिल है।

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 150 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (100% घर पशुधन वाले) + 250 घर एलपीजी का उपयोग
परिदृश्य 2: 176 से अधिक घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में अतिरिक्त 50% घर)।
परिदृश्य 3: 176 से अधिक घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (शीर्ष आय वर्ग में 100% घर)।
इसमें ग्राम पंचायत में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी शामिल है।

अनुमानित लागत

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹37,50,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)
परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹39,15,000
परिदृश्य 3: ₹42,15,000 = ₹39,15,000 सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए + ₹3,00,000
सभी परिदृश्यों की औसत लागत: ₹39.6 लाख

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹37,50,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)
परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹39,15,000
परिदृश्य 3: ₹42,15,000 = ₹39,15,000 सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए + ₹3,00,000
सभी परिदृश्यों की औसत लागत: ₹39.6 लाख

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹75,00,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)
परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹79,20,000
परिदृश्य 3: ₹79,20,000
सभी परिदृश्यों की औसत लागत: ₹77.8 लाख



ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक भवनों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी) में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना। सभी घरों में कम से कम 1 इनकैंडेसेंट/ सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदला जाना अथवा 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना। ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना।) 	<ol style="list-style-type: none"> घरों में सभी इंकैंडेसेंट बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला जाना और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना। कम से कम 1 पारंपरिक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखे से बदला जाना ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना।) 	सभी घरों में सभी पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी भवनों में सभी ट्यूब लाइट और पंखे (लगभग 24 एलईडी ट्यूब लाइट और 14 पंखे) बदले जाएंगे 550 एलईडी बल्ब और 550 एलईडी ट्यूब लाइट स्थापित⁵³ (प्रति घर 1 ऊर्जा कुशल बल्ब और ट्यूब लाइट स्थापित) 	<ol style="list-style-type: none"> सभी घरों में 1,650 एलईडी बल्ब और 1,100 ट्यूब लाइटें लगाई गईं (प्रति घर 3 बल्ब और 2 ट्यूब लाइटें) प्रत्येक घर में 550 ऊर्जा कुशल पंखे लगाए गए (प्रति घर 1 पंखा) 	सभी घरों में 1,100 ऊर्जा कुशल पंखे लगाए गए (प्रति घर 2 पंखे)
अनुमानित लागत	<p>एलईडी बल्ब की कीमत: ₹38,500</p> <p>एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत: ₹1,26,280</p> <p>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹15,540</p> <p>कुल लागत: ₹1.8 लाख</p>	<p>एलईडी बल्ब की कीमत: ₹1,15,500</p> <p>एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत: ₹2,42,000</p> <p>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹6,10,500</p> <p>कुल लागत: ₹9.68 लाख</p>	<p>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹12,21,000</p> <p>कुल लागत: ₹12.21 लाख</p>

53 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर



सौर स्ट्रीटलाइट

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना ⁵⁴	सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर 50 सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना	आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव एवं अधिक स्ट्रीटलाइट की स्थापना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रमुख स्थानों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, जल निकाय) पर 3 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना। 2. मौजूदा स्ट्रीट लाइट को सोलर स्ट्रीट लाइट में बदलना 3. सड़कों और रास्तों के किनारे 50 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना 	सड़कों और रास्तों के किनारे 10 सौर एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना	आवश्यकतानुसार स्ट्रीटलाइटों का नियमित रखरखाव एवं संयोजन
अनुमानित लागत	हाई मास्ट स्ट्रीटलाइट की लागत: ₹1,50,000 एलईडी स्ट्रीटलाइट की लागत: ₹5,00,000 कुल लागत: ₹6.5 लाख	एलईडी स्ट्रीटलाइट की लागत: ₹1,00,000 कुल लागत: ₹1 लाख	आवश्यकतानुसार

54 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान जीपी से प्राप्त इनपुट और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁵⁵ प्रदान करती है:
 - » आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाए जाने पर सब्सिडी/अनुदान: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक।
 - » संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को मोड⁵⁶ में संस्थानों में सौर स्थापना का प्रावधान।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता:
 - » किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सिस्टम के लिए 40% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सिस्टम के लिए, 40% का केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)। केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 20% तक सीमित होगी।
 - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीएफए 20% तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए हेतु सीएफए के लिए पात्र क्षमता 10 किलोवाट प्रति घर तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना⁵⁷ के अंतर्गत की जा सकती है। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त लागत प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, अर्थात् 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- पीएम कुसुम योजना प्रदान करती है:
 - » पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - » पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30% की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किशतों में बैंक को किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश सरकार पीएम कुसुम योजना में योगदान:
 - » घटक सी-1 के अंतर्गत : किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - » घटक सी-2 के अंतर्गत : एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁵⁸:
 - » ईईएसएल अपनी स्वयं की लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देते हैं और 7 साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त बदलने और रखरखाव की सुविधा प्रदान करते हैं।

55 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर_प्रदेश_सोलर_एनर्जी_पोलिसी_2022.pdf

56 तृतीय पक्ष (रेस्को मोड) (अक्षय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

57 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

58 ईईएसएल द्वारा 6वां स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम। <https://eesindia.org/hi/oursInp/>

- » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम में 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती हैं।
- ग्राम उजाला योजना⁵⁹:
 - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को काम करने वाले इंकंडेसेंट बल्बों के बदले 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए सब्सिडी:
 - » परियोजना लागत के 35% की क्रेडिट लिंकड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 1. कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है।
 2. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नाम से एक योजना लागू कर रहा है।
 - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन⁶⁰, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक, बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के लिए 35% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है⁶¹।
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022⁶² सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है :
 - » कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख/टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट।
 - » 100% स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट।
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 m³/दिन है⁶³।

59 ग्राम उजाला योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), पीआईबी <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897767>

60 अर्थात् फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, मल्टी प्रोडक्ट/मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, मोबाइल कूलिंग यूनिट

61 <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1883926>

62 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

63 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों आदि के साथ गठजोड़ का पता लगाना।
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए रिवोल्विंग निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/ सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना।
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - » सोलर रूफटॉप सौर ऊर्जा (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करें।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीएनईडीए)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

6

सतत और उन्नत गतिशीलता



संदर्भ और मुद्दे

- जैदपुरा में कुल 460 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 350-दोपहिया वाहन, 40 कारें, 60 ट्रैक्टर और 10 ऑटो-रिक्शा।
- इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 1 ई-रिक्शा है⁶⁴।
- आईसीई वाहनों द्वारा प्रति वर्ष कुल ईंधन की खपत ~49.5 किलोलीटर (kL) डीजल और ~112 किलोलीटर पेट्रोल है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन से ~398 tCO₂e उत्सर्जन हुआ है⁶⁵।

इसलिए, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल करने की काफी संभावना है।



ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर को अपनाने हेतु बढ़ावा देना

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
1. डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।	
2. आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को संवेदनशील बनाना			
3. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा उपलब्ध करना (आजीविका बढ़ाने वाले अनुभाग में वर्णित)			

64 क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

65 क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

लक्ष्य

कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदे जाना

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर खरीदे जाना

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर खरीदे जाना

अनुमानित लागत

5 ई-ट्रैक्टर की कुल लागत :
~₹30,00,000

5 ई-वाणिज्यिक वाहनों की कुल लागत:
₹25,00,000 – ₹50,00,000

कुल लागत: ₹55 लाख – ₹80 लाख

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण



2024-25 से 2026-27



2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना

पंचायत के प्रत्येक हिस्से में पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-ऑटोरिक्शा को क्रय किया जाना

मांग के आधार पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जाना

लक्ष्य

10 सीएनजी/पेट्रोल ऑटो के स्थान पर 10 ई-ऑटोरिक्शा लाना

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा की खरीद

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा की खरीद

<p>एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत लगभग: ₹3,00,000⁶⁶</p> <p>उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक</p> <p>10 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹28,80,000</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: 8.65 tCO₂e⁶⁷</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>
--	----------------------	----------------------

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 प्रदान करती है:
 - » खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)।
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन⁶⁸ के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 10% @; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15%; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15%।
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME II) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण।

प्रमुख विभाग

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)

66 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹ 1,50,000 - ₹ 4,00,000 और उससे अधिक के बीच होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदि पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर निधि को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

67 समुदाय से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रति ऑटो 1.73 tCO₂e बचाए गए जीएचजी उत्सर्जन का अनुमान है। सीएनजी ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलने से यह उत्सर्जन कम होगा और ग्रामपंचायत को कार्बन न्यूट्रल या यहाँ तक कि कार्बन नेगेटिव बनाने में योगदान मिलेगा।

68 सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के संदर्भ में आवधिक परिवर्तन के अधीन है। इसलिए, इस योजना के किसी भी खंड में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

7

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



कृषि और पशुपालन ग्राम पंचायत का मुख्य आधार है और 50% से अधिक परिवार इन गतिविधियों में संलग्न हैं। दोनों ही क्षेत्र आजीविका की असुरक्षा से भरे हुए हैं, विशेष रूप से बदलती जलवायु और पशुपालन में वर्तमान असंवहनीय उत्पादन प्रथाओं के कारण। इस प्रकार, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत कृषि आधारित और/या स्थानीय व्यवसाय/दुकान चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 70 व्यक्ति बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से बाहर चले गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, ग्राम पंचायत में रोज़गार के सीमित अवसर हैं। इस कार्य योजना में उल्लिखित सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



सतत उत्पादों के निर्माण में स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. सतत उत्पादों (बैग, घरेलू सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण हेतु महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना
2. क्षमता निर्माण:
 - उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

निम्न के लिए प्रारंभिक सहभागिता में:

1. 100 महिलाएं
2. 9 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) (वर्तमान में सिलाई गतिविधियों में शामिल)
3. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना

ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

1. अतिरिक्त 200 महिलाएं
2. अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



जैविक कचरे को खाद बनाकर बेचना

मुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधि

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास
 - खाद और वर्मी-खाद बनाने की तकनीक
 - ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

तात्कालिक लक्ष्य:

घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पादित खाद: 44 किलोग्राम प्रतिदिन; 1,320 किलोग्राम प्रति माह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

मुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधि

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर की वाणिज्यिक किराए पर लेना (किराये के आधार पर) उत्तर प्रदेश ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

तत्काल लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर ₹6 लाख)
2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक की अतिरिक्त खरीद (नोट: यह माना जाता है कि जैदपुरा में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत लगभग ₹6 लाख है)



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में) को सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज की जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच व्यापार मॉडल/गठबंधन

लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर टन)

(सब्जी की खेती और 1,060 से अधिक मवेशियों से डेयरी के तहत ~17 हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र)

लागत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन।
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी।

लक्ष्य

लगभग 0.2 हेक्टेयर भूमि पर आरोग्य वन स्थापित किया जाएगा



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायोगैस) का संचालन एवं रखरखाव

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।

ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किंग योजनाओं से सहायता।

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमशीलता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से)। सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं।
- आवश्यक कौशल विकास सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशासकों में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 69,70,71:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

69 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

70 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

71 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷², थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷³:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁷⁴:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूल उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की

72 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

73 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

74 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद का सकते हैं।

यह गतिविधि संस्त्वितियों के "सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब^{75,76}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁷⁷

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आवास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁷⁸" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁷⁹

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतों में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

75 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

76 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

77 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

78 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscspcc>

79 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) -राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸⁰।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोकलाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में ⁸¹

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

80 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

81 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁸²

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ़िफ़िसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸³

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

82 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

83 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁸⁴

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:




आंध्र प्रदेश राज्य में⁸⁵

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

84 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

85 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>



जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प


सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁶
क. जल निकायों का पुनरोद्धार एवं संरक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5
ख. जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर करना 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4 एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
ग. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) 		एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 एसडीजी 15: भूमि पर जीवन <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5




86 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलजमाव में कमी जल और भूमि प्रदूषण में कमी/बेहतर स्वच्छता 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8
<p>ख. जैविक कचरे का प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>ग. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 	<ul style="list-style-type: none"> सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>घ. स्वच्छता संबंधी संरचनाओं को बढ़ाना</p> 		<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1



सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. कृषि के लिए सूखा प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि⁸⁷ मृदा स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई



87 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

ख. प्राकृतिक खेती अपनाना



- रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार
- कृषि जल सुरक्षा में सुधार
- शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई
- वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता

- लक्ष्य 6.4
- लक्ष्य 13.1

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही

- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3

ग. सतत पशुधन प्रबंधन






हरित स्थानों और जैवविविधता प्रबंधन को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. हरित आवरण में सुधार</p>	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. जन जैवविविधता रजिस्टर</p>	<ul style="list-style-type: none"> पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9






स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया	
<p>क. सोलर रूफटॉप स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 <p>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.a लक्ष्य 7.b <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 	
<p>ख. एग्रो-फोटोवोल्टिक</p> 			
<p>ग. सौर पंप</p> 			
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 			
<p>ड. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 			
<p>च. सोलर स्ट्रीट लाइटें</p> 			



सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर को अपनाने हेतु बढ़ावा देना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	<p>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 
<p>ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलजमाव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार 	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प जल और भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत आदान 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5
<p>ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे बेचना</p> 		

ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रेक्टर किराये पर लेने की सुविधा



घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार



ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन



च. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का प्रचालन एवं रखरखाव(ओ&एम)



- औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा
- कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन
- जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार
- स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार
- वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि

एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास

- लक्ष्य 8.3

एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना

- लक्ष्य 12.2
- लक्ष्य 12.4
- लक्ष्य 12.5
- लक्ष्य 12.8

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही

- लक्ष्य 13.1
- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3



क्रियान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से जैदपुरा के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। जैदपुरा के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर जैदपुरा को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, जैदपुरा जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और क्रियान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही जैदपुरा को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁸⁸। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

जैदपुरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁸⁹ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

88 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

89 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख अनुलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » जैदपुरा ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : जैदपुरा

विकासखण्ड : टप्पल

जनपद : अलीगढ़

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	01
2	टोलों की संख्या	01
3	a कुल जनसंख्या	6000
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	3180
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	2820
	d विकलांगजन की जनसंख्या	27
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	1260
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	516
4	कुल परिवार की संख्या	440
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	50
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	3.5
6	a साक्षरता दर	90%
7	a पक्का घरों की संख्या	486
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	05 (झोपड़ी एवं मिट्टी के घर)





II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	60	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	115	
	अनुबंध खेती	375	
	दिहाड़ी मजदूर	300	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	100	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	155	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	80	
	कुटीर उद्योग	02	
	कृषि	375	
	कला/हस्तकला	10	
	पशुपालन	300	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	10	
	व्यवसाय/उद्यम	00	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	300	
	अन्य	00	
10	पलायन	हां	नहीं
	a क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/व्यक्तिगत की संख्या	
	अन्य गांव		
	निकट के शहर	नोयडा, दिल्ली, मथुरा, अलीगढ़	70
	राज्य के प्रमुख शहर	-	--
	देश के प्रमुख महानगर	-	--
	c क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	Null
---	--	------

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	30
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	15
	किराए की भूमि/हुण्डा	20
	अनुबंध खेती	30
	दिहाड़ी मजदूर	150
	अन्य व्यवस्था	8 सिलाई, मजदूरी, दुकान, पशुपालन
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	---
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	08
	कुटीर उद्योग	15
	कृषि	20
	कला/हस्तकला	25
	पशुपालन	300
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	12
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	100
	अन्य	8





12	स्वयं सहायता समूहों				
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
	बाँके बिहारी स्वयं सहायता समूह	10	खेती/ व्यवसाय	4800	हाँ
	राधे कृष्णा स्वयं सहायता समूह	10	खेती/ व्यवसाय	4800	हाँ
	कैला देवी स्वयं सहायता समूह	10	खेती/ व्यवसाय	4800	हाँ
	जय माता दी स्वयं सहायता समूह	10	खेती/ व्यवसाय	4800	हाँ
	मोहन बाबा स्वयं सहायता समूह	10	खेती/ व्यवसाय	4800	हाँ
	जय श्री कृष्णा स्वयं सहायता समूह	10	खेती/ व्यवसाय	4800	हाँ
	साई बाबा स्वयं सहायता समूह	10	खेती/ व्यवसाय	4800	हाँ
	जय भोले स्वयं सहायता समूह	10	खेती/ व्यवसाय	4800	हाँ
	राधा स्वामी स्वयं सहायता समूह	10	खेती/ व्यवसाय	4800	हाँ

13	कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)					
	एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियाँ/ गतिविधियों का क्षेत्र
	Null	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				





14 अन्य समुदाय आधारित संगठन /						
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
	Nil	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

15 योजनाएं							
	A	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु0)	अन्य कोई बकाया (रु0)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
		मनरेगा	458	210	21300	---	कच्चे रास्तों पर मिट्टी ढलाव का कार्य
		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	427	427	---	--	---
		प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	300	300	----	---	----
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	----	----	----	----	----
		प्रधान मंत्री कुसुम योजना	----	-----	----	---	---
	B	अन्य योजनाएं	---	--	--	--	--
		ग्राम उज्जवला योजना	-----	---	----	---	--
		ऊर्जा दक्षता योजना	-----	---	----	---	---
		प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	200	200	--	--	किराने की दुकान और पशुपालन
		प्रधानमंत्री आवास योजना	01	01	01 लाख 20 हजार	--	मकान बनाने हेतु
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	---	---	----	---	---
		कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	---	---	---	---	---
		उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	---	---	---	---	---





	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	---	---	---	---	---
	मौसम आधारित फसल बीमा	150	150	---	---	फसल को नए तरीके से उगाना
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	300	300	फसल अनुसार	----	फसल तैयार करना
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	--	--	--	--	--
	किसान क्रेडिट कार्ड	---	--	--	--	--
	स्वच्छ भारत मिशन	280	280	12000	--	शौचालय निर्माण
	सौर सिंचाई पम्प योजना	--	---	--	--	--
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	--	--	---	--	--
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	01	--	--	--	--
	गोवर्धन योजना	निर्माणाधीन				
	जल पुनर्भरण योजना	निर्माणाधीन				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	01				
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	--	--	--	--	--
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	--	--	--	--	--
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	--	--	--	--	--
	उद्यमिता सहायता योजनाएं आदि	--	--	--	--	--

16	सक्रिय बैंक खाता धारकों की संख्या	2000
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	1800





18	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है		यदि नहीं, तो बाजार/ केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल (कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
	Nil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-

19		शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
	प्रकार/ स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्य कारण (स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)	
A	प्राथमिक विद्यालय	110 वर्ग मी0	65	--	--	
B	जू0 हाई स्कूल	105 वर्ग मी0	45	--	--	
C	हाई स्कूल	--	--	--	--	





D	अन्य संस्थान				
	आंगनवाडी केन्द्र 02	70 वर्ग मी0	71		

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Nil	--	--	--	--
	--				
	--				
	--				
	--				
	--				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
01	नोयडा एक्सप्रेसवे	(1)	1.5 कि.मी.	(1)






III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
A	वन का क्षेत्र	Nil
B	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	--
C	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	--
D	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	--
E	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	--
F	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	--

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
A	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है? (एकड़)	14.8		
B	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	6.4		
C	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन-(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	--		
	अतिरिक्त सूचनाएं	--		

24	जल निकाय क्षेत्र	हां	नहीं
	विवरण		
A	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	02	
C	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	--	
E	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है	





25		जल आपूर्ति
a	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3) तालाब/झील-(4) अन्य-(5)	(5) निजी समरसेबिल द्वारा उपयोग
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कुआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	(5) गाँव में कुल 105 हैण्डपम्प स्थापित है और कुल 08 हैण्डपंप संचालित है (7) गाँव में कुल 20 कुआ है जो कि सभी कुआ सूखे पड़े हुए है (8) जल आपूर्ति हेतु घरों में निजी समरसेबिल है
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	Null
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	Null
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24× 7 घण्टे (1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	Null
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2)	वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप,निजी समरसेबिल द्वारा (3 A)



	भूमिगत जल – (नलकूप (3 A), कूआ (3 B) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	मौसमी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	प्रवाह दर कम है
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	जल आपूर्ति कम है सूख गया पानी की टंकी उपलब्ध नहीं है।

IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव			
26			
a	गर्मी के माह में देखा गया		
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी
	<u>2020-21</u>	✓	□
c	दिनों की संख्या	60 दिन	
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	--	
27			
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया		
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी
		✓	□
c	दिनों की संख्या	45 दिन	





d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	--		
28				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी ✓	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		45 दिन	
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	--		
29				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि ✓	वर्षा के दिनों में कमी <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा दिनों में कमी ✓	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या		25 दिन	
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कमी <input type="checkbox"/>	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं ✓
e	दिनों की संख्या	---		
f	अन्य सूचनाएं/जानकारी	----		

चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022) ✓	द्वितीय वर्ष (2021) ✓	तृतीय वर्ष (2020) ✓	चतुर्थ वर्ष (2019) ✓	पंचम वर्ष (2018) ✓
b	किस माह में सूखा देखा गया	जुलाई-अगस्त	जुलाई-अगस्त	जुलाई-अगस्त	जुलाई-अगस्त	जुलाई-अगस्त
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन घरेलू स्तर पर सबमर्सिबल द्वारा जल आपूर्ति की जाती है।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन कृषि स्तर पर नलकूप एवं सबमर्सिबल द्वारा जल आपूर्ति की जाती है।	





d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		✓	□	□		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-----				
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		□	□	□	□	□
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	Nil				
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन Nil			कृषि स्तर पर प्रबन्धन Nil	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		□	□	□		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	Nil				
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		□	□	□	□	□
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	Nil				
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन -----			कृषि स्तर पर प्रबन्धन -----	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		□	□	✓		





e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	---	---	---	---	---
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓	✓	✓	□	□
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	फरवरी-मार्च	फरवरी-मार्च	फरवरी-मार्च		
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन Nill			कृषि स्तर पर प्रबन्धन Nill	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		✓	□	□		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓	✓	✓	✓	✓
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर	अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर	अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर अप्रैल	अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर	अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर
b	किस प्रकार का कीट/बीमारी को देखा गया?	माहो, रस्ट झुलसा, आदि	माहो, रस्ट झुलसा, आदि	माहो, रस्ट झुलसा, आदि टिड्डी	माहो, रस्ट झुलसा, आदि	माहो, रस्ट झुलसा, आदि
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	प्राइवेट दुकान से खरीद कर कीटनाशक दवा का छिड़काव निजी रूप से किया गया तथा किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई।				
d		वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		





	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	✓	□	□		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	--	--	--	--	--

35 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी					
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध हैं?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	□	✓	□	✓
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	□	✓	□	✓
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	□	✓	□	✓
	आपातकाल अनाज बैंक	□	✓	□	✓
	अन्य	□	✓	□	✓

36 अनाज भण्डारण		
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	Nil
	तेल	Nil
	चीनी	Nil
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	Nil
b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	
		Nil


37 ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
स्थानीय कृषि अधिकारी	X
समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	✓
मोबाईल फोन/एप	✓
मौखिक	X





कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	X
पशुपालन विभाग	X
उद्यान विभाग	X
अन्य	--

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी (2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु0)
	प्रथम वर्ष (2022)	खरीफ (1)	धान	चरम घटनाक्रम (सूखा)	--	--
	द्वितीय वर्ष (2021)	रबी (2)	गेहूँ	ओलावृष्टि	--	--
	तृतीय वर्ष (2020)	---	---	---	---	---
	चतुर्थ वर्ष (2019)	खरीफ (1)	धान	चरम घटनाक्रम (सूखा)	--	--
	पंचवां वर्ष (2018)	---	---	--	--	---
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		✓				
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	गाँव के लोगों से प्राप्त जानकारी द्वारा सूखे की स्थिति में सरकार की तरफ से अनुमानित फसल नुकसान के आधार पर औसतन 1200 से 1500 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है।	---	---	---	---





39 फसल पद्धति में बदलाव					
A	सामान्य फसल	खरीफ गन्ना ज्वार	श्रबी गेहूं चना राई मटर	जायद / अन्य ऋतु ---	
B	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है / देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	गेहूं	नवंबर 2 nd सप्ताह से दिसंबर 2 nd सप्ताह तक	--	नवंबर 2 nd सप्ताह से दिसंबर 2 nd सप्ताह तक	---
	सरसों	अक्तूबर 2 nd सप्ताह से नवंबर 1 st सप्ताह तक	--	अक्तूबर 2 nd सप्ताह से नवंबर 1 st सप्ताह तक	---
	धान	जून 4 th सप्ताह से जुलाई के 2 nd सप्ताह तक	--	जुलाई 2 nd से अगस्त 2 nd सप्ताह तक	मानसून में देरी एवं सूखे जैसी स्थिति होना
	बाजरा	जून 4 th सप्ताह से जुलाई के 2 nd सप्ताह तक	--	जुलाई 2 nd सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक	---
	अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	-----			
C					

40 सिंचाई प्रणाली / पद्धति में परिवर्तन					
A	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4),	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)	पूर्व में सिंचाई विधि / पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)





		पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)				
	धान	5	650/- प्रति एकड़	5		450/- प्रति एकड़
	अरहर	4	-	4		-
	गेंहूँ	5	500/- प्रति एकड़	5		400/- प्रति एकड़
B	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		---	38	----	----	
C	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है	-----				
41 पशु पालन/पशुधन						
A	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		डेयरी (1) -			
B	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	गाय (1)	10	लम्पी रोग	सर्दी	कमी (2)
	द्वितीय वर्ष (2021)	भैंस (2)	02	बुखार	सर्दी	कमी(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil				
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Nil				
	पंचम वर्ष (2018))	Nil				
	अन्य जानकारी/सूचनाएं	Nil				



c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्ख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम / ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil				
	द्वितीय वर्ष (2021)	Nil				
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil				
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Nil				
	पंचम वर्ष (2018))	Nil				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
D	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil				
	द्वितीय वर्ष (2021)	Nil				
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil				
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Nil				
	पंचम वर्ष (2018)	Nil				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				





V. कृषि व पशुपालन

42	a	प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी						खरपतवारनाशी				
				उर्वरक उपयोग		कीटनाशक उपयोग		खरपतवारनाशी				
	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/ मौसम	उपज (कु0) प्रति एकड़	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0 / एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा / एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा / एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
	धान	खरीफ	22.08	DAP Urea Zinc	65 Kg 105 Kg 8 Kg	कोई परिवर्तन नहीं (3)	कारटाप हाइड्रोक्लोराइड मिथाइल पैराथियान	12 kg 15 kg	कोई परिवर्तन नहीं (3)	ब्यूटाक्लोर	1.9 लीटर	कोई परिवर्तन नहीं (3)
	गेहूँ	रबी	21.74	Urea DAP	65 kg 55 kg	कोई परिवर्तन नहीं (3)	क्लोरोपायरीफास	1.5 ली०	कोई परिवर्तन नहीं (3)	सल्फो सल्फ्यूरान	1.5 यूनिट	कोई परिवर्तन नहीं (3)
	b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक हैं?				
				नहीं	----			हाँ				



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां					
	फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु0/कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित/सत्यापित
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)				
	फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिंग, फसल चक्र, अन्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रुपया)
	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां									
पौध रोपण आच्छादित गतिविधियों क्षेत्रफल के प्रकार	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6) - उल्लेख करें	मोनोकल्चर (1), मिश्रित प्रजाति (2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/ अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2) प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5) - उल्लेख करें
सार्वजनिक 3 हेक्ट.	स्कूल, तालाब, मंदिर, सड़क के किनारे पर	मनरेगा (4) वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5)	मिश्रित प्रजाति (2)	फलदार व छायादार	15 जुलाई 2022	50 %	मनरेगा के अंतर्गत लाभ तक पहुंच	03	-----



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त / उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रतिमाह / बेचते पर)	
गाय (देशी नस्ल)	60	पशु आहार, चराई	3200	
गाय (संकर नस्ल)	300	पशु आहार, चराई	5500	
भैंस (देशी नस्ल)	400	पशु आहार, चराई	4500	
भैंस (संकर नस्ल)	250	पशु आहार, चराई	4900	
बकरी	50	पशु आहार, चराई	1400	
सुअर	-	
मुर्गी	15	पूरक आहार	90	
मत्स्य	-	
अन्य	घोडा - 2	पशु आहार, चराई	----	



48 टोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	पत्तियां, सब्जी के छिलके, राख	प्रति घर से करीब 1.5 किलो अपशिष्ट पदार्थ/कूड़ा उत्पन्न होता है।				
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	गाड़ी					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input checked="" type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति		500 मी.	
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	---			
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति			
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 400
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> प्रमुख स्थान- पंचायत घर पर (2)
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ	
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	





50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	✓	□	□	□	✓
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	-----	-----	-----	-----	-----
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	Nil	-----	-----	-----	-----
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	Nil	-----	-----	-----	-----

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	□	✓	---
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	✓	□	100 वर्गमीटर
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	□	✓	---
d	आंगनवाड़ी	✓	□	30 वर्गमीटर
e	आशा	✓	□	---
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	□	✓	---
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	□	✓	---

52	रोग/बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	220	40	160	20	C.H.C.	✓	✓	आशा, आंगनवाड़ी






b	जल-जनित रोग (हैजा / डायरिया / टाईफाईड / हैपेटाइटिस आदि)	150	30	80	40	C.H.C.	✓	✓	आशा, आंगन वाडी
c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	20	--	--	20	C.H.C.	✓	✓	आशा, आंगन वाडी
d	कुपोषण	8	8	--	--	C.H.C.	✓	✓	आशा, आंगन वाडी

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	400
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	400
	ए0सी0	160
	एयर कुलर	300
	रेफ्रिजरेटर / फ्रीज	400

54	विद्युत कटौती की आवृत्ति	
a	दिन में कुछ बार	✓
	दिन में एक बार	□
	विद्युत कटौती नहीं	□
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	6 घंटे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	

55	वोल्टेज अस्थिरता / उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कुछ बार	□
	दिन में एक बार	□
	अस्थिरता / उतार-चढ़ाव नहीं	✓





56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	10
	सौर उर्जा	12
	इमरजेंसी लाईट	160
	इनवर्टर	410
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	--

57	नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा के स्रोत		
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	---	---
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	---	---
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	---	---
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	---	---
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	---	---
	सौर स्ट्रीट लाईट	05	20 किलोवाट
	बायोगैस	---	---
	विकेंद्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	----	
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	नहीं	---

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	400	290 किग्रा/महीना
	बायोगैस	--	--
	एलपीजी गैस	490	14.5 किग्रा/महीना
	विद्युत	--	--






	सौर उर्जा	--	--
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	--	--
59	वाहन की संख्या		
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार
a	जीप	0	---
b	कार	40	CNG/PETROL /DESEL
c	दो पहिया वाहन	350	PETROL
d	विद्युत चालित वाहन	---	---
e	आटो	10	CNG/PETROL
f	ई-रिक्शा	01	BETTRY
g	अन्य	--	--

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	60	डीजल	15 किमी प्रतिदिन
b	कम्बाईन हारवेस्टर	0	---	--
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	0	---	--

61	ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)		
	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)





	ईंधन के प्रकार		गांव की संख्या	टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
b	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null

62 औद्योगिक इकाई			
उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
Null	Null	Null	Null



अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत – जैदपुरा विकासखण्ड
–टप्पल

जनपद – अलीगढ

2023–24



ग्राम पंचायत की रूपरेखा/प्रोफ़ाइल:

ग्राम पंचायत जैदपुरा उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ विकास खण्ड टप्पल में स्थित है। यह ग्राम पंचायत राज्य मार्ग (नोयडा एक्सप्रेसवे) से लगभग 1.5 किमी दूर है। होडल, पलवल, वृंदावन, अलीगढ़ जैदपुरा के नजदीकी शहर हैं। यह पंचायत जिला मुख्यालय अलीगढ़ से पश्चिम की ओर करीब 55 किमी दूर स्थित है तथा इसी पंचायत से चौरासी कोस की परिक्रमा का रास्ता भी बीच गाँव से होकर निकलता है और हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इसी पंचायत से भ्रमण करते हुए अपनी चौरासी कोस की परिक्रमा को पूर्ण करते हैं इसलिए जैदपुरा ग्राम पंचायत आस्था का प्रतीक भी मानी जाती है।

जैदपुरा ग्राम पंचायत की कुछ बस्तियाँ ऊँचाई वाले स्थान पर बसी हैं और कुछ निचले स्थानों पर बसी हैं। यहाँ पर खरीफ, रबी और जायद फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात सभी तरह का मौसम होता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया:

वातावरण निर्माण:

ग्राम पंचायत जैदपुरा की “क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना” बनाने में ग्राम पंचायत के सभी वर्गों/ लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम प्रधान श्री योगेश चौधरी द्वारा पंचायत की विभिन्न बस्तियों के लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं विभिन्न सेवा प्रदाताओं जैसे- प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, समूह सखी, ग्राम रोजगार सेवक, सहित पंचायत के वरिष्ठजनों को पंचायत घर पर नियोजित खुली बैठक में निर्धारित दिनांक एवं समय अनुसार प्रतिभाग करने हेतु सूचना कराई गयी जिससे सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।



ग्राम सभा की खुली बैठक :

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना निर्माण हेतु ग्राम पंचायत-जैदपुरा, विकास खण्ड-टप्पल, जनपद-अलीगढ़ में दिनांक 13-03-2023 को कोमल फाउंडेशन टीम द्वारा पंचायत घर जैदपुरा में एक खुली बैठक की गयी। पंचायत अंतर्गत सभी बस्तियों के पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रधान श्री योगेश चौधरी को बैठक आयोजन दिनांक एवं स्थान के बारे में पहले सूचित किया गया था। इस सन्दर्भ में प्रधान जी द्वारा अपने सहयोगियों के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग करने हेतु स्थानीय समुदाय के सभी लोगों को सूचित किया गया। खुली बैठक में प्रधान जी के साथ पंचायत सदस्य, पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, स्वयं सहायता समूह की सदस्य, समूह सखी सहित विभिन्न बस्तियों के स्थानीय लोगों की सक्रिय सहभागिता रही। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री योगेश चौधरी ने की।

कोमल फाउंडेशन टीम द्वारा बैठक में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया और “क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना” के बारे में सार संक्षेप में मूलभूत जानकारी दी गयी तथा योजना बनाने के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया गया जिससे सभी की एक साझी समझ बन सके तथा चर्चा क्रम में पंचायत में जलवायु

स्थिति एवं मौसम सम्बन्धी सामान्य जानकारी भी ली गयी और आपदा सम्बन्धी चर्चा की गयी कि किस प्रकार की आपदा गाँव/ पंचायत के लोगों को किस रूप में और कितना प्रभावित करती है।

प्रतिभागियों के द्वारा अपनी-अपनी बस्तियों की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताया गया जिसमें मुख्यतः जल जमाव एवं गंदे पानी की निकासी का समुचित अभाव, कृषि सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता नहीं होना तथा गर्मियों में पारंपरिक पेयजल संकट होना प्रमुख मुद्दे थे। इस सम्बंध में प्रधान द्वारा वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु किए जा रहे कार्यों/प्रयासों एवं प्रमुख चुनौतियों के बारे में जानकारी साझा की गयी।



स्थानीय लोगों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत सम्बन्धी मूलभूत आँकड़ा निम्नवत है:

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	01
2	टोलों की संख्या	01
3	a कुल जनसंख्या	6000
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	3180
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	2820
	d विकलांगजन की जनसंख्या	27
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	1260
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	516
4	कुल परिवार की संख्या	440
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	50
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	3.5
6	a साक्षरता दर	90%
7	a पक्का घरों की संख्या	486
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	05 (झोपड़ी एवं मिट्टी के घर)

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण:

नियोजन एवं विकास समिति	शिक्षा समिति	निर्माण कार्य समिति
श्री योगेश चौधरी -अध्यक्ष (प्रधान) श्री सोरन लाल -सदस्य श्रीमती वीरा देवी -सदस्य श्री राजेंद्र -सदस्य श्रीमती लक्ष्मी - सदस्य श्रीमती जयंती - सदस्य श्रीमती कुसुम देवी - सदस्य	श्री योगेश चौधरी -अध्यक्ष (प्रधान) श्रीमती लक्ष्मी -सदस्य श्रीमती कुसुम देवी -सदस्य श्रीमती वीरा देवी -सदस्य श्रीमती जयंती -सदस्य श्रीमती सफेदी देवी-सदस्य श्री सोरन लाल -सदस्य श्री ओमप्रकाश – सदस्य (प्रधानध्यापक) श्री विजय सिंह-सदस्य(अविभावक) श्री ऋषि पाल - सदस्य(अविभावक)	श्री राजेंद्र -अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी -सदस्य श्रीमती जयंती -सदस्य श्रीमती कुसुम देवी - सदस्य श्रीमती वीरा देवी -सदस्य श्री सोरन लाल -सदस्य
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	प्रशासनिक समिति	जल प्रबंधन समिति
श्रीमती कुसुम देवी -अध्यक्ष श्री सोरन लाल -सदस्य श्रीमती वीरा देवी -सदस्य श्री राजेन्द्र-सदस्य श्रीमती जयंती - सदस्य श्रीमती सफेदी देवी-सदस्य	श्री योगेश चौधरी -अध्यक्ष (प्रधान) श्रीमती वीरा देवी -सदस्य श्रीमती सफेदी देवी-सदस्य श्रीमती कुसुम देवी -सदस्य श्रीमती लक्ष्मी -सदस्य श्री राजेंद्र -सदस्य श्री सोरन लाल -सदस्य	श्रीमती जयंती -अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी - सदस्य श्रीमती वीरा देवी -सदस्य श्री राजेंद्र -सदस्य श्रीमती कुसुम देवी -सदस्य श्री राजेश - सदस्य श्री सोरन लाल - सदस्य श्री नरेश – सदस्य (कृषक) श्री राधे श्याम - सदस्य (कृषक) श्री विजेन्द्र - सदस्य (कृषक) श्री ओम प्रकाश - सदस्य (कृषक)

वार्ड सदस्यों की सूची

वार्ड संख्या	ग्राम पंचायत सदस्य का नाम	मोबाइल नंबर
01	श्रीमती वीरा देवी	---
02	श्री राजेन्द्र सिंह	9756806865
03	श्रीमती लक्ष्मी देवी	-----
04	श्रीमती कुसुम	----
05	श्रीमती सफेदी देवी	-----

06	श्री मोहित	8130612466
07	श्री रामसिंह	9897980358
08	श्री सोरन लाल	----
09	श्री अजय पाल	----
10	श्री राजेश कुमार	8445206823
11	श्री हुब्बन	----
12	श्री रणवीर	----
13	श्रीमती वैजन्ती	9568661990

गाँव का भ्रमण (ट्रांजेक्ट वॉक):

गाँव भ्रमण के दौरान कोमल फाउंडेशन टीम द्वारा ग्राम पंचायत अंतर्गत स्थित गांवों की भौगोलिक को जानने, नाजुकता की स्थिति को समझने, आपदा एवं इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को जानने, खेती किसानों, स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधन, निचले एवं ऊंचे स्थानों की पहचान करने, जातिगत बस्तियाँ/घरों की बनावट (कच्चे-पक्के घर) की संख्या, जल निकासी की स्थिति, सड़क/ संपर्क मार्ग, कचरा प्रबन्धन, कूड़ा निस्तारण की सुविधाओं, गाँव में साफ-सफाई की स्थिति, मूलभूत सुविधाओं जैसे-पानी, बिजली, शौचालय इत्यादि को देखने के साथ ही साथ गाँव में निवास कर रही विभिन्न जातियों के रहन-सहन की स्थिति जानने, अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति देखने तथा उपलब्ध सुविधा व संसाधनों जैसे-स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि का अवलोकन कर चिन्हित किया गया।

इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत कृषि कार्यों एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में बदलाव को समझने के लिए गाँव का भ्रमण कोमल फाउंडेशन के समस्त टीम सदस्यों ने पंचायत प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से किया।



गाँव के भ्रमण के दौरान स्थिति का आकलन:

**गाँव की बसाहट
(घरों की संरचना)**

टप्पल से बाजना मार्ग के बीच में मुख्य सड़क पर ही जैदपुरा पंचायत स्थित है। गाँव में प्रवेश करते ही बायीं तरफ आर्यावर्त बैंक की शाखा है और कुछ दूरी पर ही परिक्रमा मार्ग है तथा मुख्य सड़क की दोनों ओर पक्के घर बने हुए हैं। जैदपुरा ग्राम पंचायत में कुछ घर ऊँचाई वाले स्थान पर बसे हुए हैं और कुछ घर निचले स्थानों पर भी बसे हुए हैं।

	पंचायत में कुछ स्थानों पर उचित साफ-सफाई भी देखने को मिली ।
तालाब व गड्ढे	पंचायत में केवल 01 ही तालाब स्थित हैं । इसमें पानी की उपलब्धता रहती है और पूरे गाँव का पानी इसी तालाब में जाता है ।
नदी, नहर व नाला	पंचायत में कोई भी नदी, नहर व नाला नहीं है । खेतों की सिंचाई निजी नलकूप के द्वारा की जाती है ।
वन व हरित क्षेत्र	पंचायत में किसी प्रकार का कोई वन व हरित क्षेत्र नहीं है ।
सिंचाई	गाँव में कृषि सिंचाई मुख्यतः निजी नलकूप के द्वारा ही की जाती है ।
ऊर्जा प्रयोग	जैदपुरा पंचायत में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त रूप में होती है । घरेलू उपयोग में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे-टीवी, फ्रिज, कूलर, लाइट, पंखे इत्यादि के साथ ही सिंचाई के लिए पंपिंग सेट चलाने में विद्युत का उपयोग होता है । विद्युत कटौती दिन में दो से तीन बार होती है । औसतन 2 से 3 घण्टे विद्युत कटौती होती है । लभग 05 सार्वजनिक जगहों पर सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ।
ईंधन प्रयोग	खाना पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग करीब 490 परिवार करते हैं और लगभग 400 परिवार पारंपरिक जालौनी जैसे लकड़ी व गोबर के उपले का उपयोग करते हैं । पंचायत में वाहनों के लिए पेट्रोल का उपयोग मुख्यतः करीबन 350 मोटर साईकल व 40 कार द्वारा, डीजल का उपयोग 60 ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है ।
घरेलू उपयोग के लिए जल स्रोत	घरेलू उपयोग के लिए जल स्रोत केवल निजी समरसेबिल है ।
आधारभूत संरचना/, अवस्थापना सुविधाएं	घरेलू गंदे पानी की निकासी हेतु काफी जगहों पर नालियां निर्मित नहीं होने के साथ ही विभिन्न बस्तियों के लोगों के आवागमन हेतु इंटरलाकिंग सड़क/ आरसीसी रोड निर्मित नहीं है जो आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं में से एक है । पंचायत में दाह संस्कार हेतु मरघट, पंचायत घर और सामुदायिक शौचालय निर्माण की अति आवश्यकता है ।
स्वच्छता की स्थिति	पंचायत में गंदे पानी की निकासी हेतु सम्पर्क मार्ग के किनारे और गलियों में नाली/चौड़े नाले इत्यादि निर्मित नहीं होने से अक्सर जल जमाव होता है । जल जमाव के कारण जल जनित बीमारियाँ होती हैं । पंचायत में सामुदायिक शौचालय उपलब्ध नहीं है । विशेषतः बारिश के दिनों में जहां जल जमाव प्रायः होता है तो पानी जमा होने के कारण जल जनित बीमारियाँ /मौसमी बुखार इत्यादि की संभावना बढ़ जाती है जिसमें टायफाइड और मलेरिया प्रमुख रूप से स्थानीय समुदाय के लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं ।

सामाजिक मानचित्रण:

गाँव भ्रमण के पश्चात सामाजिक मानचित्रण किया गया । इस प्रक्रिया में कोमल फाउंडेशन टीम द्वारा उपस्थित लोगों को सोशल मैपिंग के बारे में समझाया गया तथा इसे बनाने के उद्देश्य के बारे में बताया गया । इसके लिए सर्वप्रथम प्रतिभागियों को मैप पर पूरब, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं को दर्शाया गया । तत्पश्चात गाँव तक आने वाली मुख्य सड़क, गाँव के अंदर के संपर्क मार्ग, जातिगत टोले/बस्तियों, जल निकाय क्षेत्र जैसे- नदी, नहर, जल भराव वाले स्थान, तालाब, कुआं, हैंडपम्प इत्यादि के साथ संसाधन सुविधा केन्द्र जैसे- आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेत खलिहान, राशन वितरण केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि को दर्शाया गया । सोशल मैप की रूपरेखा तैयार होने के तत्पश्चात

अलग-अलग रंगों से श्रेणीवार चीजों को दर्शाया गया। सभी प्रतिभागियों ने सक्रियता से इस कार्य में सहभागिता की। अपनी पंचायत का नक्शा बनाना उनके लिए भी एक अच्छा व सीखने योग्य अनुभव था।



खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण:

इस पंचायत में विगत कई वर्षों में बाढ़ सम्बन्धी आपदा का प्रकोप नहीं पाया गया और इस पंचायत में सभी प्रकार का मौसम (सर्दी, गर्मी और बरसात) होता है। यहाँ खरीफ, रबी एवं जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं।

जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण इस ग्राम पंचायत में भी मौसम परिवर्तन हुआ है। स्थानीय समुदाय के लोगों से बातचीत के आधार पर यह पाया गया कि कम वर्षा होने के कारण भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की निर्भरता बढ़ी है। सिंचाई के लिए खेतों को पानी भी ज्यादा लगता है क्योंकि वर्षा के अभाव में खेतों की नमी नहीं बनी रहती है। आज से करीब 10 से 15 वर्ष पहले की तरह अब बरसात नहीं होती है और मानसून की अनिश्चितता रहती है। अक्सर मानसून जल्दी आने या समय से आने के बावजूद नाम मात्र की वर्षा हो जाती है और कृषि की सिंचाई निजी नलकूपों के जरिये की जाती है।

की बुवाई में देरी होती है एवं उतना उत्पादन भी नहीं हो पाता है। वर्षा जल के अभाव के कारण पहले कृत्रिम साधनों द्वारा एक या दो बार सिंचाई करनी पड़ती थी जो अब 3 से 4 बार करनी पड़ती है।

इससे न सिर्फ सिंचाई लागत बढ़ रही है बल्कि भू-गर्भ जल का दोहन बढ़ रहा। पहले वर्षा पर्याप्त होने से पशुओं के लिए तालाबों, गड्ढों इत्यादि में पानी एकत्र हो जाता था जो उनके पीने के काम आता था जो अब कम मात्रा में उपलब्ध होता है।

जलवायु परिवर्तनशीलता- प्रवृत्ति/परिवर्तनशीलता, मुख्य चुनौतियाँ/झटके एवं तनाव:

स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत के आधार पर जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति एवं प्रमुख चुनौतियों को चिन्हित किया गया। चर्चा के माध्यम से लोगों द्वारा बताया गया है कि गाँव में बाढ़ का प्रकोप विगत काफी वर्षों से नहीं देखा गया। बरसात होने पर जल निकासी के लिए नालियों का प्रबन्ध नहीं होने से कुछ जगहों पर पानी भर जाता है। इससे जल जनित रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है। सम्पर्क मार्गों से आवागमन करने में परेशानी होती है। बरसात के दिनों की संख्या में कमी आई है और बेमौसम बारिश के कारण पहले की अपेक्षा रबी फसल के हानि का खतरा बढ़ गया है। पहले लगभग 3 से 4 महीने वर्षा होती थी। मानसून की अनिश्चितता के कारण सूखे जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावना होती है।

विगत कुछ वर्षों से काफी परिवर्तन हुआ है। अब वर्षा जुलाई महीने में नाम मात्र की होती है एवं अगस्त व सितम्बर महीने में कुछ ही दिन वर्षा होती है और यह पर्याप्त नहीं होती है। गर्मी के दिनों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ गयी है। वहीं जाड़े के दिनों की संख्या में कमी आई है। देर से मानसून आने के कारण वर्षा भी देर से होती है और अपर्याप्त होती है। अनिश्चित मानसून के कारण कृषि उपज की लागत बढ़ रही है और उस अनुरूप मुनाफे में कमी होती जा रही है। आज भी ज्यादातर वर्षा आधारित कृषि की जाती है। ऐसे में कुल फसल उत्पादन काफी हद तक वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा कम या ज्यादा होने से भूजल का स्तर एवं पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित होती है।

जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का विश्लेषण:

मौसमी दशाओं एवं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैतपुरा ग्राम पंचायत में भी पाया गया। इसके साथ अन्य प्राकृतिक आपदायें जैसे- सूखा, ओले पड़ना (ओला वृष्टि) आपदायें भी हैं। विभिन्न वर्षों में सूखे की घटना, आँधी-तूफान सम्बन्धी आपदाएँ स्थानीय लोगों द्वारा बताई गईं।

कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी का प्रभाव इस पंचायत के लोगों पर भी रहा। इस पंचायत में कुछ जगहों पर बरसात के मौसम में जल जमाव भी एक प्रमुख आपदा है।

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर पंचायत के लोगों को निम्नलिखित आपदाएँ प्रभावित करती हैं:

- जल-जमाव
- सूखा
- लू
- ओला वृष्टि
- आँधी-तूफान

खतरा एवं जोखिम से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण:

क्र. सं.	आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र				प्रभाव को कम करने हेतु समुदाय के कदम
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन	
1.	जल जमाव	कृषि	वर्षा जल जमाव से धान की फसल को नुकसान की संभावना।	जैदपुरा गाँव	100 से 150 घर	अनुमानित 100 हेक्टेयर खरीफ (धान) फसल को नुकसान	वर्षा जल जमाव के कारण पानी निकासी
2.		स्वास्थ्य	जल जनित बीमारियों का खतरा जैसे-मलेरिया, टायफायड/ बुखार, इत्यादि रोग।	जैदपुरा गाँव	440 घर	प्रभावित घरों के सदस्य विशेषतः छोटे बच्चे, शिशु	गंदे पानी में मिट्टी का तेल, मोबिल आयल डालना, मच्छरदानी का प्रयोग करना। टायफायड, मलेरिया बुखार इत्यादि बीमारियों की रोकथाम हेतु उपलब्ध दवाओं, का प्रयोग करना।
3.		पेयजल स्वच्छता	पेयजल दूषित होना एवं कीचड़ इत्यादि के कारण गंदगी होना।	जैदपुरा गाँव	100 से 200 घर	गाँव के रास्ते/सड़क का क्षतिग्रस्त होना।	बरसात के दौरान पानी उबालकर पीना। अपने घरों के आस-पास साफ-सफाई रखना।
4.		पशुपालन	कीचड़ होने एवं गोबर इत्यादि फैलने के कारण पशुओं के आस-पास गंदगी जमा होना, पशुओं का बीमार होना।	जैदपुरा गाँव	करीब 150 घर बिनना सेठ, पन्नालाल टेलर, नेपाल, विरु के घर के पास	कुछ घरों में पशु (गाय/ भैंस) को बांधने हेतु उचित जगह नहीं मिल पाना, पशु हानि, बीमार होना।	यथा संभव पशुओं को सूखी जगह बांधने का प्रबंध करना। बीमारी की स्थिति में पशु डाक्टर से दवा लेना।
5.	कम वर्षा/सूखा	कृषि	कृषि उत्पादन/ कुल कृषि पैदावार में कमी	जैदपुरा गाँव	440 घर	अनुमानित 220 हेक्टेयर खरीफ फसल का नुकसान होना।	वृक्षारोपण करना। कृत्रिम साधनों द्वारा खेतों की सिंचाई का प्रबंध करना।
6.		भू-जल	भूजल पर निर्भरता बढ़ना एवं इसके अत्यधिक दोहन के कारण जल स्तर में कमी होना।	जैदपुरा गाँव	400 घर	घरों को समुचित जलपूर्ति न होना।	रेनवॉटर रिचार्ज की व्यवस्था करना तालाबों की साफ-सफाई कर वर्षा जल संचयन करना।

क्र. सं.	आपदा/ खतरे	संभावित जोखिम क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र				प्रभाव को कम करने हेतु समुदाय के कदम
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन	
7.		पशु पालन	पशुओं के लिए पानी का संकट, पशु चारे की समस्या	जैदपुरा गाँव	70 घर	गाय, भैंस पर प्रभाव	पशुओं के लिए पानी हेतु निजी पंपिंग सेट का उपयोग, चारे का प्रबंध करना
8.		खाद्यान्न (अनाज आपूर्ति)	कम फसल उत्पादन के कारण खाद्यान्न संकट की संभावना	जैदपुरा गाँव	440 घर	-	सरकारी मदद (राशन वितरण प्रणाली) द्वारा या बाजार से मंहगे दर पर अनाज खरीदना।
9.		पर्यावरण	तापमान में वृद्धि एवं इससे संबन्धित अन्य पर्यावरणीय/ व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ	जैदपुरा गाँव	-	मानव संसाधन के साथ पशुओं के स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय बदलाव का नकारात्मक प्रभाव	वृक्षारोपण करना। दैनिक मजदूरी वाले कार्यों, खेतिहर मजदूरी कार्यों को ज्यादा धूप में करने से बचना।
10.		आजीविका	कृषि पर निर्भर कृषक मजदूर, छोटे/सीमांत किसानों की आजीविका ज्यादा प्रभावित होना	जैदपुरा गाँव	400 घर	खेतों में नमी कम होना, कृत्रिम सिंचाई के साधनों के उपयोग बढ़ने के कारण भूजल का दोहन बढ़ जाना।	वैकल्पिक रूप में मनरेगा कार्यों की मांग करना, दैनिक मजदूरी वाले कार्य ढूँढना।
11.	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को लू लगना व बीमार होना	जैदपुरा गाँव	-- -	मानव एवं जानवर (गाय, भैंस इत्यादी)	दोपहर में या ज्यादा तापमान होने पर आने-जाने, भारी श्रम वाले कार्यों को नहीं करना।
12.	शीत लहर	कृषि	फसलों को नुकसान होना (आलू)	जैदपुरा गाँव	200 घर	खेत में बोयी गयी आलू की फसल	---
13.		स्वास्थ्य	मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान। पशु हानि की भी संभावना	जैदपुरा गाँव	350 से 400 घर	---	अलाव/ आग इत्यादी के द्वारा शरीर गर्म रखना। पशुओं को खुले में नहीं बांधना
14.	आँधी-तूफान	कृषि व भौतिक संसाधन	भौतिक संसाधन को विशेषतः कच्चे घरों व झोपड़ी वाले परिवारों को ज्यादा नुकसान होना	जैदपुरा गाँव	05 घर	चारा/ भूसा की हानि होना। कच्चे घरों व झोपड़ी वाले घरों की क्षति होना।	पूर्व में चारे/भूसे को सुरक्षित करना। कच्चे घरों व झोपड़ी की मरम्मत करना।

आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम :

जैदपुरा ग्राम पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों से विगत 10-20 वर्षों की आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा जानने का प्रयास किया गया। चर्चा क्रम में कोई ऐसी आपदा नहीं चिन्हित हो पायी जो प्रत्येक वर्ष वहाँ के लोगों को

ज्यादा प्रभावित कर रही हो। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बरसात में उतार चढ़ाव, वर्षा में देरी, अनिश्चित मानसून, बेमौसम बरसात या सूखे जैसी स्थितियों, बीमारी इत्यादि से संबन्धित प्रमुख घटनाओं की जानकारी बातचीत द्वारा एकत्रित की गयी।

चर्चा में यह पाया गया कि सूखे जैसी स्थिति होने के बावजूद भी अक्सर सरकारी स्तर पर इसे घोषित नहीं किया जाना एक प्रमुख मुद्दा है। इसके कारण फसल नुकसान के एवज में किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता है।

कोरोना वैश्विक बीमारी का प्रकोप इस पंचायत के लोगों पर भी रहा जिसके कारण आजीविका सम्बन्धी सभी गतिविधियां प्रभावित रहीं। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लोग अपने-अपने घरों में बन्द रहे। इस कारण दैनिक मजदूरी पर निर्भर परिवार, छोटे किसान, प्राइवेट नौकरी-पेशा वाले लोग, छोटे दुकानदार की आजीविका अधिक प्रभावित हुई। प्राप्त सूचना अनुसार आपदाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	वर्ष	आपदा/खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	2005	ओला वृष्टि	प्राकृतिक असंतुलन	-	पूरा गाँव	लगभग 1000 एकड़ रबी फसल को नुकसान	--
2.	2011	आँधी-तूफान	मौसमी खराबी	-	18 से 20 घर	झोपड़ी / कच्चे घरों का क्षतिग्रस्त होना, पशुओं के लिए रखा भूसा का नुकसान	झोपड़ी के स्थान पर पक्के घरों का निर्माण। कच्चे घरों, झोपड़ी की मरम्मत व रख-रखाव
3.	2018	ओला वृष्टि	प्राकृतिक असंतुलन	-	पूरा गाँव	लगभग 200 एकड़ खरीफ फसल को नुकसान	--
4.	2019	ओला वृष्टि	प्राकृतिक असंतुलन	-	पूरा गाँव	लगभग 250 एकड़ रबी फसल को नुकसान	--
5.	2020	कोरोना	कोरोना वायरस संक्रमण	-	पूरा गाँव	आजीविका का संकट, अनाज/ राशन व भरण पोषण की समस्या	कोरोना से बचाव हेतु जारी सरकारी आदेशों का अनुपालन करना। घरों में रहते हुये जरूरी एहतियात बरतना।
6.	2020	सूखा	प्राकृतिक असंतुलन के कारण कम बारिश होना	-	लगभग 260 घर	लगभग 500 एकड़ खरीफ फसल प्रभावित हुयी।	कृत्रिम सिंचाई के साधनों के उपयोग द्वारा खेती की सिंचाई करना और सरकारी मदद प्राप्ति के लिए पहल करना
7.	2021	कोरोना	कोरोना वायरस संक्रमण	-	पूरा गाँव	आजीविका का संकट, अनाज/ राशन व भरण	कोरोना से बचाव हेतु जारी सरकारी आदेशों का अनुपालन करना।

												एहातयात बरतना ।
8.	2022	आँधी-तूफान	मौसमी खराबी			05 से 10 घर	झोपड़ी / कच्चे घरों का क्षतिग्रस्त होना तथा पशुओं के लिए रखा भूसा का नुकसान					--

आपदाओं का मौसमी कलेण्डर:

आपदा का नाम	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.
जल जमाव												
सूखा												
लू												
शीतलहर												
आँधी-तूफान												

जल-जमाव की समस्या पंचायत के विभिन्न बस्तियों में पायी जाती है। गाँव में ऊँचे-नीचे स्थानों पर घरों की बसावट है तथा यहाँ भी कुछ घरों के पास जल जमाव होता है। वह संपर्क मार्ग के किनारे सही प्रकार से नाली निर्मित नहीं होने से पानी निकासी का समुचित प्रबंध नहीं है। अधिकतर ज्यादा बरसात के दिनों में यह समस्या बढ़ जाती है। ग्राम पंचायत में चामड मंदिर और रवि डीलर के घर के पास के स्थान ऊँचे पैर हैं जबकि बिन्ना सेठ, वीरू, पन्नालाल टेलर, नेपाल के घर के पास जल भराव की स्थिति बनती है।

सूखे की आपदा जुलाई से अगस्त तक होती है। जुलाई एवं अगस्त महीने में वर्षा नहीं होने या नाममात्र की वर्षा होने तथा सितंबर महीने के अंतिम दो सप्ताह में कम दिनों की लेकिन ज्यादा वर्षा से सूखे की जैसी स्थिति हो जाती है। लू का प्रकोप मई एवं जून महीने में होता है। शीतलहर का प्रकोप अत्यधिक ठण्ड के कारण दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह से जनवरी महीने तक रहता है। आँधी-तूफान आपदा अधिकतर मई व जून में आती है।

मौसमी विश्लेषण एवं उनमें हुये बदलाव का मौसमी कलेण्डर:

मौसम	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला	अग.	सित.	अक्टू	नव.	दिस.
सर्दी (पूर्व)												
सर्दी (वर्तमान)												
गर्मी (पूर्व)												
गर्मी (वर्तमान)												
बरसात (पूर्व)												
बरसात (वर्तमान)												

नोट: उपरोक्त कैलेण्डर में पूर्व की स्थिति से तात्पर्य वर्तमान समय से 10-20 वर्ष पहले से है।

मौसम विश्लेषण तालिका के अनुसार सर्दी की समयावधि आज से 10-20 वर्ष पहले की अपेक्षा कम हुई है। पहले सर्दी नवंबर महीने के दूसरे/तीसरे सप्ताह से प्रारम्भ होकर मार्च महीने के प्रथम/द्वितीय सप्ताह तक रहती थी। वर्तमान समय में यह दिसंबर महीने से शुरू होकर फरवरी महीने में समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार गर्मी के समयावधि पहले की अपेक्षा बढ़ गयी है। यह मार्च महीने के दूसरे/तीसरे सप्ताह से शुरू होकर जुलाई महीने तक रहती है। वर्षा देर से होने पर गर्मी अगस्त महीने में भी होती है। बरसात की समयावधि पहले की अपेक्षा कम हुई है। पहले बरसात मई महीने के दूसरे/तीसरे सप्ताह से प्रारम्भ होती थी और सितंबर महीने के दूसरे/तीसरे सप्ताह तक समाप्त होती थी। वर्तमान में यह जुलाई महीने के दूसरे/तीसरे सप्ताह में शुरू होती है और अधिकतम सितम्बर महीने के दूसरे/तीसरे सप्ताह तक समाप्त हो जाती है। विगत कुछ वर्षों में मानसून जल्दी आने के बावजूद वर्षा देर से शुरू होकर जल्दी समाप्त हो जाती है। इस कारण जलस्रोत जैसे-तालाब, जलभराव वाले स्थानों में पानी सूख जाता है।

बीमारी व स्वास्थ्य की स्थिति का मौसमी कलेण्डर:

बीमारी	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू	नव.	दिस.
सर्दी, जुकाम व खांसी												
मलेरिया												
टायफायड/बुखार												
निमोनिया												
फोड़ा-फुंसी												
डायरिया व उल्टी दस्त												

बीमारी व स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित तालिका से देखने पर यह पता चलता है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप इस पंचायत में भी रहता है। विशेषतः जून महीने से लेकर सितम्बर/अक्तूबर महीने तक मौसमी बीमारियों का प्रकोप ज्यादा पाया गया। जाड़े के मौसम में निमोनिया, सर्दी, जुकाम, खांसी का प्रकोप पाया गया है। टायफायड और मलेरिया का प्रकोप जुलाई से सितंबर तक ज्यादा पाया गया। बरसात में फोड़े फुंसियों का प्रकोप भी रहता है।

फसल व रोग का मौसमी कलेण्डर:

फसल व रोग	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू	नव.	दिस.
खरीफ फसल चक्र												
धान												
बाजरा												
रबी फसल चक्र												
गेंहूँ												
आलू												
सरसों												

खरीफ फसल में मुख्यतः धान की फसल की रोपाई मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक की जाती है और नवंबर मध्य तक फसल तैयार हो जाती है। धान की फसल में खैरा रोग एवं झुलसा रोग अगस्त व सितंबर महीने में लगता है। बाजरा जुलाई से अक्तूबर तक होता है। रबी फसल में मुख्यतः गेहूँ की फसल 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बोयी जाती है और मार्च या मध्य अप्रैल तक तैयार होती है। इसके साथ ही आलू, सरसों की भी खेती होती है। औसतन ये फसलें नवम्बर से 15 दिसंबर तक बोयी जाती हैं और फरवरी मध्य /मार्च तक तैयार हो जाती है। गेहूँ की फसल पर बेमौसम बारिश के साथ तेज हवा का विपरीत प्रभाव पड़ता है। आलू की फसल पर कोहरा/पाला का प्रभाव दिसंबर/जनवरी महीने में होता है। सरसों में माहो रोग ज्यादातर लगता है। बाजार में उपलब्ध कीटनाशक का उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है।

आपदाओं का प्राथमिकीकरण:

आपदा	प्रभाव का क्षेत्र							योग
	मानव	पशु	खेती	आजीविका	पशुचारा	मकान	सड़क	
सूखा	8	7	6	6	5	7	4	43
जल जमाव	7	5	8	7	5	0	0	32
लू	6	4	4	6	3	0	0	23
शीतलहर	7	5	3	5	0	0	0	20
आँधी तूफान	5	2	3	2	0	6	0	18

उपरोक्त तालिका के आधार पर इस पंचायत में सूखा पहले नंबर की आपदा है क्योंकि मानसून देरी से आने, अपेक्षाकृत कम वर्षा, वर्षा की समाप्ति वाले महीने (सितम्बर) में थोड़े दिनों के लिए किन्तु ज्यादा वर्षा जैसे स्थितियाँ सूखा की स्थिति उत्पन्न करती हैं जिससे कृषि को काफी नुकसान पहुंचता है और बस्तियों के बीच में पानी निकासी का प्रबंध समुचित नहीं है। किसी-किसी वर्ष ज्यादा बरसात होने पर तालाब के किनारे बसे घरों को ज्यादा नुकसान की संभावना होती है। अंकों के आधार पर जल जमाव दूसरे नंबर की आपदा है। इसी क्रम में लू तीसरे नंबर की आपदा है, तथा इसी प्रकार शीतलहर चौथे नंबर की आपदा के रूप में चिन्हित की गयी और आँधी-तूफान छठवें नंबर की आपदा चिन्हित की गयी है।

नाजुकता विश्लेषण:

आपदा के प्राथमिकीकरण के पश्चात इसके न्यूनीकरण हेतु नाजुकता का विश्लेषण महत्वपूर्ण है जिससे विभिन्न आपदाओं/खतरों का कितना प्रभाव है और किन क्षेत्रों और वर्गों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसको जाना जा सके। इसके साथ ही उपलब्ध संसाधन को चिन्हित करना जरूरी है। पंचायत के हितभागियों जैसे-प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशा इत्यादि से चर्चा कर नाजुक वर्ग, स्थल एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्रों एवं वर्गों के साथ ही उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्र की गयी जो नीचे तालिका में दी गयी है:

खतरा	घर/खेती		नाजुकता संवर्ग एवं उनकी संख्या			
			लोग/समुदाय		संसाधन	
	क्षेत्र	संख्या	वर्ग	संख्या	प्रकार	संख्या
जल जमाव	खेती	120 हेक्टेयर खेती	छोटे/ सीमांत किसान	100 से 130 घर	तालाब	1
	आजीविका (कृषि/ पशुपालन)	1 गाँव	छोटे किसान/ गरीब परिवार	300 घर	पशु खेतिहर मजदूर	-

	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य	1 गाँव	बच्चे, वयोवृद्ध दिव्यांग	300 घर	तालाब	1
सूखा	खेती	1 गाँव	छोटे/मध्यम किसान	लगभग 390 घर	तालाब	01
	पेयजल	01 गाँव	सबमर्सिबल	लगभग 440 घर	सबमर्सिबल	300
	आजीविका	01 गाँव	कृषि आधारित मजदूर/ किसान	लगभग 440 घर	-	-
लू	स्वास्थ्य	01 गाँव	पूरी आबादी	400 घर से अधिक	मानव संसाधन पशुधन	-
आँधी तूफान	फसल	01 गाँव	जर्जर कच्चे घर व झोपड़ी वाले	05 से 10 घर	मानव संसाधन पशुधन	-

क्षमता आकलन:

आपदाओं के कारण होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के एवं योजना बनाने के दृष्टिकोण से पंचायत में उपलब्ध संसाधनों को वहाँ के स्थानीय समुदाय से मिलकर चिन्हित किया गया जिससे क्षमता का आकलन किया जा सके। संसाधनों को भी श्रेणीवार तरीके से अलग-अलग चिन्हित किया गया। भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधन को सामाजिक मानचित्रण में भी चिन्हित किया गया। साथ ही मानवीय संसाधन एवं वित्तीय संसाधन संबंधी सूचनों/आंकड़ों को चर्चा के माध्यम से एकत्र किया गया। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को आपदा के समय उपलब्ध संसाधनों के प्रति जानकारी साझा करना एवं संबन्धित व्यक्तियों/संसाधनों की उपयोगिता के प्रति सजग करना था। इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को नीचे दी गयी तालिका में संकलित किया गया है जो इस प्रकार है।

पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची

संसाधन के प्रकार	उपलब्ध संसाधन	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम व नंबर	गाँव से दूरी
भौतिक संसाधन	पंचायत भवन	01	श्री योगेश चौधरी (प्रधान) मोबाइल नं: 9917283218	0 किमी
	आंगनवाड़ी केन्द्र, (प्रथम)	01	रामवती, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मोबाइल नं: 9720325866	0 किमी
	आंगनवाड़ी केन्द्र (द्वितीय)	03	ऊषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मोबाइल नं: 7500759394	0.किमी
	प्राथमिक विद्यालय	01	महिपाल (प्रधानाध्यापक) मो. नं.: 8630663475	0.5 किमी
	उच्च प्राथमिक विद्यालय	01	ओमप्रकाश (प्रधानाध्यापक) मो. नं.: 9412801651	0.5 किमी
	मंदिर	02	-	0.5 किमी
	सार्वजनिक राशन वितरण	01	रविकरन – कोटेदार मो. न. 706025112	0 किमी
प्राकृतिक संसाधन	तालाब	02		0.5 किमी

	कृषिगत क्षेत्र	-	-	0 किमी
मानव संसाधन	प्रधान	01	श्री योगेश चौधरी (प्रधान) मोबाइल नं: 9917283218	0 किमी
	ग्राम विकास अधिकारी	01	श्री दीपक शर्मा मो. नं.: 9758413296	0 किमी
	आशा	01	श्रीमती समोल मो. नं.: 9839447303	0 किमी
	आशा	01	श्रीमती पिंकी, मो. नं.: 8126476481	0 किमी
	आशा	01	श्रीमती मालती, मो. नं.:7302122435	0 किमी
	आशा	01	श्रीमती रूपवती देवी, मो. नं.: 7417397535	0 किमी
	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (प्रथम)	01	रामवती, आंग. कार्य. मोबाइल नं: 9720325866	0 किमी
	आंगनवाड़ी केन्द्र (द्वितीय)	01	ऊषा, आंग. कार्यकर्त्री मोबाइल नं: 7500759394	0.किमी
	समूह सखी (NRLM)	04	वीना देवी मो. न. - 9627078532 उर्मिला देवी मो. न. - 8650672149 नीलम देवी मो. न. - 7830078471 विमलेश देवी मो. न. - 7820005746	0.किमी 0.किमी 0.किमी 0.किमी

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर खुली बैठक के माध्यम से समस्याओं को चिन्हित किया गया एवं प्राथमिकता तय की गयी। गाँव में जल जमाव होने पर पानी निकासी की व्यवस्था, आजीविका सृजन हेतु उपलब्ध स्रोतों, प्राकृतिक संसाधनों/जल निकाय क्षेत्रों जैसे-तालाब, कुओं इत्यादि का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिससे इनकी वर्तमान स्थिति को समझा किया जा सके। प्रमुख समस्याओं के दृष्टिगत स्थानीय लोगों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से योजना निर्माण हेतु कार्यों को चिन्हित किया गया।

उक्त आधार पर प्रस्तावित कार्ययोजना इस प्रकार है-

क्र.सं	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु. में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
1.	मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा, साफ-सफाई और स्वच्छता	नाली निर्माण/सीसी निर्माण कार्य	मुकेश के घर से वीरी सिंह के घर तक नाली निर्माण/सीसी निर्माण (लम्बाई - 250 मीटर)	जैदपुरा गाँव में	9 लाख	1 माह	15वां वित्त आयोग
2.		इंटरलॉकिंग/सीसी निर्माण कार्य	विन्ना सेठ की दुकान से तालाब तक (विद्यालय) (लम्बाई - 400 मीटर)	जैदपुरा गाँव में	15 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग
3.		नाली निर्माण/सीसी निर्माण कार्य	बस अड्डा से भजनी की दुकान तक (लम्बाई -700 मीटर)	जैदपुरा गाँव में	60 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग / अन्य स्रोत
4.		नाली निर्माण/सीसी निर्माण कार्य	नेपाल के घर से रवि डीलर के घर तक (लम्बाई -250 मीटर)	जैदपुरा गाँव में	7.5 लाख	4 माह	15वां वित्त आयोग / अन्य स्रोत

क्र.सं	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (₹. में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
5.		नाली निर्माण/सीसी निर्माण कार्य	रमेश हवलदार के घर से रवि डीलर के घर तक (लंबाई -200 मीटर)	जैदपुरा गाँव मे	5 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग / अन्य स्रोत
6.		नाली निर्माण/सीसी निर्माण कार्य	रुगी के घर से चन्द्र के घर तक (लंबाई - 100 मीटर)	जैदपुरा गाँव मे	3 लाख	1 माह	15वां वित्त आयोग / अन्य स्रोत
7.		नाली निर्माण/सीसी निर्माण कार्य	सुरेश पूर्व प्रधान के घर से देवदत्त मास्टर के घर तक (लंबाई - 300 मीटर)	जैदपुरा गाँव मे	10 लाख	4 माह	15वां वित्त आयोग / अन्य स्रोत
8.		नाली निर्माण/सीसी निर्माण कार्य	योगेन्द्र के घर से सुल्लो के घर तक (लंबाई - 300 मीटर)	जैदपुरा गाँव मे	11 लाख	4 माह	15वां वित्त आयोग / अन्य स्रोत
9.		नाली निर्माण/सीसी निर्माण कार्य	धर्मवीर के घर से धर्मेन्द्र के घर तक (लंबाई - 250 मीटर)	जैदपुरा गाँव मे	7 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग / अन्य स्रोत

क्र.सं	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य विवरण	परिसंपत्ति का स्थान	अनुमानित व्यय (रु. में)	प्रस्तावित अवधि	योजना हेतु वित्तीय स्रोत
10.		नाली निर्माण/सीसी निर्माण कार्य	पन्नालाल टेलर की दुकान से सुन्दर हबलदार के घर तक (लंबाई - 200 मीटर)	जैदपुरा गाँव में	5.5 लाख	1 माह	15वां वित्त आयोग / अन्य स्रोत
11.		सामुदायिक शौचालय निर्माण	महिला/पुरुष हेतु शौचालय निर्माण	जैदपुरा गाँव में मेला स्थल के पास	16 लाख	06 माह	15वां वित्त आयोग
12.	बुनियादी/ आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	वृक्षारोपण कार्य	ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई वन/बाग बगीचा नहीं है इसलिए फलदार व छायादार वृक्ष (बाग-बगीचा) लगाने हेतु वृक्षारोपण कार्य और जाली या धेरा बनाना	जैदपुरा गाँव में ग्राम सभा के पास करीब 12 बीघा चारगाह जमीन उपलब्ध है	20 लाख	03 माह (जुलाई से सितम्बर-2023)	मनरेगा /उद्यान विभाग/ अन्य स्रोत
13.		तालाब संरक्षण	तालाब का संरक्षण कार्य (सफाई, चौहदी, चबूतरा, वृक्षारोपण आदि का कार्य)	जैदपुरा के प्राथमिक विद्यालय के सामने भोले बाबा मंदिर के पास	15 लाख	03 माह (जून अगस्त 2023)	15वां वित्त आयोग / मनरेगा /उद्यान विभाग/ अन्य स्रोत

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत – जैदपुरा विकासखण्ड
–टप्पल

जनपद – अलीगढ

2023–24



आपदा का आजीविका पर प्रभाव:

क्र. सं.	आजीविका के साधन	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है
				अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	160 परिवार	जल जमाव				<ul style="list-style-type: none"> • धान की खड़ी फसल को नुकसान होना। • जल जमाव वाले खेतों में खरीफ की फसल का कम उत्पादन होना। • धान की फसल में रोग इत्यादि लगाने की संभावना। • जल भराव वाले खेतों में रबी वाली फसल(गेहूँ) की बुआई में देरी होने की संभावना।
2.		375 परिवार	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • फसल हानि या कम फसल, उत्पादन में कमी होना। • कृषि सिंचाई की लागत में वृद्धि होना उत्पादित खाद्यान्न (अनाज) की गुणवत्ता में कमी होना। • छोटे एवं सीमांत किसानों (अधिया/बटाई) पर खेती करने वालों को ज्यादा नुकसान।
		120 परिवार	शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> • शीत ऋतु में पाला पड़ने के कारण आलू के कुल उत्पादन में कमी होना, फसल हानि होना • रबी सीजन वाली फसलों में कृषि सिंचाई करने में परेशानी
3.	दैनिक मजदूरी	300 परिवार	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • कृषि मजदूरी वाले कार्यों में कमी होना, फलस्वरूप आय में कमी • कृषिगत मजदूरी के अतिरिक्त अन्य दैनिक मजदूरी वाले कार्यों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होना
		250 परिवार	शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> • ठंड लगने से से अचानक स्वास्थ्य खराब होना • दैनिक मजदूरी वाले कार्यों में कमी होना एवं आय में कमी। • आवागमन कम होना एवं व्यापार प्रभावित होना।
4.	पशुपालन (गाय, भैंस)	300 परिवार	सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता में कमी होना।

						<ul style="list-style-type: none"> ● तालाबों/जलस्रोतों के सूख जाने से पशुओं के लिए पीने के पानी का संकट उत्पन्न होना । ● तापमान बढ़ने के कारण बीमारियों संक्रामक रोगों से पशु हानि की संभावना होना । ● दुग्ध उत्पादन में कमी होना । ● मुर्गी पालन व्यवसाय में चूजे मर जाना
		300 परिवार	शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● ठण्ड के कारण खुले में बंधे पशुओं की मृत्यु हो जाना । ● दुग्ध उत्पादन में कमी होना । ● बकरी पालन व्यवसाय में ठण्ड एवं बीमारी के कारण हानि की ज्यादा संभावना । ● ज्यादा ठण्ड में मुर्गी पालन में चूजों की मृत्यु हो जाती है ।
5.	स्वयं का व्यवसाय / छोटी दुकान	10 परिवार	शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● दैनिक मजदूरी पर निर्भर ज्यादातर परिवारों की आय में कमी होने से गांवों की छोटी दुकानों से कम खरीद होती है ● मौसमी प्रभाव के कारण शीतलहर में व्यवसाय मन्द पद जाता है ।

रिपोर्ट टीम का नाम

1. अश्वनी कुमार राजौरिया
2. रेनू गौतम
3. भूपेंद्र यादव
4. लाखन सिंह

संस्था का नाम — कोमल फाउंडेशन

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁹⁰ = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁹¹ = ₹ 1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO ₂ e)
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	कृषि वानिकी की लागत ⁹² = ₹ 40,000/हेक्टेयर⁹³	

90 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

91 लागत बाजार भाव के अनुसार

92 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

93 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंदी के लिए ⁹⁴ = ₹ 150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁹⁵ = ₹ 90,000	

94 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

95 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ 60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ 33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d =</p> <p>₹ 1,00,000 कुल लागत⁹⁶: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹ 2,47,100</p>	

96 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत⁹⁷ = ₹35,000</p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत⁹⁸ = ₹35,000</p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000 ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत⁹⁹:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹ 7 लाख 1 रिटेंशन तालाब (300 m³ क्षमता) का निर्माण = ₹7 लाख ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹ 1,200 प्रति यूनिट रखरखाव की लागत: <ol style="list-style-type: none"> 1 तालाब/जल निकाय = ₹ 3, 75,000 1 प्रतिधारण तालाब = ₹ 50,000 ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹ 20 प्रति यूनिट 	

97 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

98 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

99 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण) चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹⁰⁰ : ₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	मध्यवर्तीय सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-रिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 और 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख	

100 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	चरण 1: <ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को सम्मिलित करना मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था कूड़ादानों की स्थापना अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना 	कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें; बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58% गैर-बायोडिग्रेडेबल/ अकार्बनिक अपशिष्ट - 42% आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या ¹⁰¹ = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा) कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)	
		चरण 2: <ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव साझेदारी को बढ़ाना 	अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।	
		चरण 3: <ol style="list-style-type: none"> रखरखाव कार्य साझेदारी को बढ़ाना 	लागत ¹⁰² : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ¹⁰³ = ₹15,000	

101 लागत बाजार भाव के अनुसार

102 लागत बाजार भाव के अनुसार

103 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<p>चरण 1:</p> <p>a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना</p> <p>b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल:</p> <p>1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय</p> <p>2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री</p>	संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है ¹⁰⁴ = मात्रा (किलो/दिन) जैविक अपशिष्ट / 2	
		<p>चरण II और III:</p> <p>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹⁰⁵:</p> <p>1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹ 4,50,000</p> <p>2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ¹⁰⁶: ₹ 35,00,000</p>	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<p>चरण 1:</p> <p>a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध</p> <p>b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम</p> <p>c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना</p> <p>d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल</p>	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	

104 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

105 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

106 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण 2:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		<p>चरण 3:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

1	सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>सौर क्षमता की गणना के लिए एमएनआरई सोलर रूफटॉप पोर्टल का उपयोग करें।</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWh में) = स्थापित क्षमता (kWh) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति kWh लागत = ₹50,000¹⁰⁷</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (kWh)*</p> <p>0.82/ 1000 =</p> <p>___ tCO₂e</p>
		<p>चरण 2 और 3:</p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p> <p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 kWh</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 kWh</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 kWh</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWh में)=</p> <p>पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (kWh) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति kWh लागत = ₹50,000¹⁰⁸</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

107 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

108 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 kWh स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 kWh</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWh में) = कुल स्थापित क्षमता (kWh) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति kWh लागत = ₹1 लाख¹⁰⁹</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365</p>	
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 kWh प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 kWh</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न = कुल स्थापित क्षमता (kWh) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹ 3 से 5 लाख</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂e)</p>

109 स्थापना की लागत बाजार दर के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग/ क्लीन कुकिंग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ 50,000 2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ 45,000</p> <p>1 उन्नत चूल्हे की लागत = ₹ 3,000¹¹⁰</p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ 70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ 220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹ 1,110¹¹¹</p>	

110 बाजार दर के अनुसार लागत

111 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/ आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	1 हाई-मास्ट की लागत = ₹ 50,000 1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹ 10,000 ¹¹²	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियाँ और फलों और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत: ₹ 8-15 लाख प्रति यूनिट ¹¹³	
2	कृषि अपशिष्ट से सतत उत्पादों के निर्माण में एसएचजी को संलग्न करें	कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	1 प्रसंस्करण की लागत यूनिट ¹¹⁴ = ₹3,00,000	

112 बाजार दर के अनुसार लागत

113 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

114 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल सम्मिलित हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेंसरॉक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

